न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः जितेन्द्र कुमार सिन्हा, उच्चतर न्यायिक सेवा

J.O. Code – UP–6515

1. सत्र परीक्षण सं०– 1786/2006
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या 101786/2006
(CNR No UPGZ010000022006)

उ०प्र० सरकार

.....अभियोजन

बनाम

वलीउल्ला पुत्र हबीबुल्ला निवासी नलकूप कालोनी कस्बा व थाना फूलपुर, इलाहाबाद।

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या –28/2006
धारा– 302, 307, 324, 326 भा०द०सं० व
धारा 3, 4 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना– लंका, जनपद–वाराणसी।

एवं

2. संबंधित सत्र परीक्षण सं०– 815/2011
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या 100815/2011
(CNR No UPGZ010001262011)

उ०प्र० सरकार

.....अभियोजन

बनाम

वलीउल्ला पुत्र हबीबुल्ला, निवासी नलकूप कालोनी कस्बा व थाना फूलपुर, इलाहाबाद।

मुकदमा अपराध संख्या 28/2006
धारा– 15/ 16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधि०
थाना–लंका ,जनपद– वाराणसी।

निर्णय

1. थाना लंका जनपद–वाराणसी की पुलिस द्वारा अभियुक्त वलीउल्ला के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–28/2006 में धारा 302, 307, 324, 326 भा०द०सं० व धारा 3, 4 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या 28/2006 में धारा 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप, अधिनियम के अंतर्गत पृथक–पृथक रूपसे आरोप पत्र न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी में प्रस्तुत किये गये।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथन इस प्रकार है कि दि० 08.03.2006 को समय करीब 07.20 बजे समरजीत थानाध्यक्ष, थाना लंका के द्वारा थाना लंका जनपद– वाराणसी पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि जब वह दि० 07.03.2006 को समय करीब 18.15 बजे संकट मोचन मंदिर तिराहा पर मौजूद थे तो उसी समय तेज जोरदार धमाके की आवाज संकट मोचन मंदिर की तरफ सुनाई पड़ी जिस पर वह तुरंत मंदिर की तरफ गये तो मंदिर की तरफ से लोगों की भीड़ भागती हुई आ रही थी, अफरा तफरी का माहौल हो गया था तथा दुकानें धड़ाधड़ बंद हो गयी थीं, जो जिधर जगह पा रहा था उधर भाग रहा था। उसने इसकी सूचना जरिये दूरभाष थाने को देते हुये और पुलिस फोर्स की मांग करते हुये मंदिर परिसर के अंदर पहुंचा तो लोगों के चिल्लाने व बचाने की आवाज बराबर आ रही थीं। बहुत से लोग घायल अवस्था व कुछ संभवतः मृत अवस्था में मंदिर के पास पड़े हुये थे। चारों तरफ सामान व जूते चप्पल बिखरे पडे थे, उसने हमराह फोर्स व जनता की मदद से घायल अवस्था में गिरे पड़े सभी व्यक्तियों को एक–एक करके जो भी साधन उपलब्ध होते गये उससे बी.एच.यू. इमरजेंसी व आसपास के अन्य अस्पतालों में भेजने लगा। इसी बीच जरिए आर०टी० सैट व अन्य माध्यमों से सूचना मिली कि इसी तरह का एक अन्य बम विस्फोट इसके थोडी देर के अंतराल पर कैंट स्टेशन पर हुआ है और वहां भी बहुत से लोग घायल हो गये हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आतंकवादियों के द्वारा राष्ट्र व समाज को अव्यवस्थित करने का भरपूर प्रयास किया गया है। राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा समाज में सौहार्द वातावरण बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया है।

3. धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनियम तथा धारा 302, 307, 324, 326 भा०द०सं० के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गयी और विवेचना के उपरांत अभियुक्त वलीउल्ला के विरूद्ध धारा 302, 307, 324, 326 भा०द०सं० व धारा 3, 4 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत तथा धारा 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत पृथक–पृथक रूपसे आरोप पत्र न्यायालय वाराणसी में प्रस्तुत किये गये। अपराध सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी से सत्र न्यायालय वाराणसी को विचारण हेतु सुपुर्द किये गये।

4. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल मिस० प्रार्थना पत्र सं० 555/2006 में पारित आदेश दि० 24.11.2006 के अनुपालन में जनपद न्यायालय वाराणसी में लम्बित सत्र परीक्षण संख्या 368/2006 सरकार बनाम वलीउल्ला अन्तर्गत धारा 302, 307, 324, 326 भा०द०सं० व धारा 3, 4 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना–लंका, वाराणसी को विधिअनुसार सुनवाई व निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय, वाराणसी से जनपद न्यायालय, गाजियाबाद में अंतरित किया गया जो कि जनपद न्यायालय गाजियाबाद में दिनांक 14.12.2006 विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त हुआ तथा वर्तमान में सत्र परीक्षण संख्या 1786/2006 सरकार बनाम वलीउल्ला के रूप में विचाराधीन है।

5. इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्रिमिनल विविध वाद संख्या 555/2006 में पारित आदेश दिनांक 24.11.2006 के परिप्रेक्ष्य में जनपद न्यायालय वाराणसी में लम्बित सत्र परीक्षण संख्या 383/2011 सरकार बनाम वलीउल्लाह अन्तर्गत धारा 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना लंका वाराणसी को विधिअनुसार सुनवाई व निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय वाराणसी से जनपद न्यायालय, गाजियाबाद में अंतरित किया गया जो कि जनपद न्यायालय गाजियाबाद में विशेष प्रसर वाहक द्वारा दिनांक 02.07.2011 को प्राप्त कराया गया तथा उक्त सत्र परीक्षण वर्तमान में सत्र परीक्षण संख्या 815/2011 सरकार बनाम वलीउल्ला के रूप में विचाराधीन है।

6. अभियुक्त वलीउल्ला के विरूद्ध अंतर्गत धारा 302, 307, 324, 326 भा०द०सं० व धारा 3, 4 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का आरोप मेरे पूर्वाधिकारी श्री राधे श्याम चौबे, तत्कालीन सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दि० 26.07.2007 को तथा धारा 16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनयम के अंतर्गत तत्कालीन सत्र न्यायाधीश श्री विष्णु चन्द्र गुप्ता द्वारा दि० 02.08.2011 को आरोप विरचित किया गया। आरोपों को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया परन्तु अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

7. संबंधित एस०टी० सं० 815/2011 में पी.डब्लू.–1 सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, पी.डब्लू.–2 श्रीमती मंजू अग्रवाल, पी.डब्लू.–3 श्रीमती रेनू देवी, पी.डब्लू.– 4 सुशील अग्रवाल व पी.डब्लू.– 5 द्वारिका प्रसाद केसरी के बयान अंकित किये गये तत्पश्चात अभियुक्त की ओर से उक्त दोनों सत्र परीक्षणों को एकजाई किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया, जिस पर दिनांक 12.04.2012 को उक्त दोनों सत्र परीक्षणों का परीक्षण एक साथ किये जाने हेतु आदेश इस आशय से पारित किया गया कि सत्र परीक्षण संख्या 1786/2006 में साक्ष्य अंकित की जाएगी जो कि दूसरे सत्र परीक्षण में भी पढ़ी जाएगी।

8. अभियोजन की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र दौरान विचारण दिया गया कि सत्र परीक्षण संख्या 1786/2006 में एकजाई होने से पूर्व परीक्षित 38 गवाहों की मुख्य परीक्षा सत्र वाद संख्या 815/2011 में भी पढ़ी जाए, जिस पर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उन्हें आपत्ति नहीं है और दिनांक 25.01.2021 को गवाहों की मुख्य परीक्षा सत्र परीक्षण संख्या 815/2011 में भी पढ़ने सम्बन्धी आदेश पारित किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त की ओर से पूर्व परीक्षित किसी गवाह से जिरह करने से भी इंकार किया गया है।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथनों के समर्थन में पी.डब्लू.–1 एस०आई० समरजीत, पी.डब्लू.–2 राम अवध यादव, पी.डब्लू.–3 सीताराम, पी.डब्लू.–4 मोहन साब, पी.डब्लू.–5 तारकेश्वर नाथ, पी.डब्लू.–6 किशन सोनकर, पी.डब्लू.–7 डॉ० अरविन्द सिंह, पी.डब्लू.–8 डॉ० अतुल कुमार सिंह, पी.डब्लू.–9 डॉ० पी०एन०सिंह, पी.डब्लू.–10 ललित

बहादुर सिंह, पी.डब्लू.– 11 त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, पी.डब्लू.–12 एस०आई० फूल चन्द यादव, पी.डब्लू.–13 कां० घनश्याम सिंह, पी.डब्लू.–14 श्रीमती शीला देवी, पी.डब्लू.–15 श्रीमती चमेली देवी, पी.डब्लू.–16 श्रीमती रेखा, पी.डब्लू.–17 श्रीमती सुदामा देवी, पी.डब्लू.–18 श्रीमती रेनू मौर्या, पी.डब्लू.–19 बाबू उर्फ आर्यन उम्र 8 साल, पी.डब्लू.–20 श्रीमती कलावती, पी.डब्लू.–21 कु० कविता मिश्रा, पी.डब्लू.– 22 शाहिद हुसैन, पी.डब्लू.–23 एस०आई० शिव राम, पी.डब्लू.–24 श्रीमती रीता राय, पी.डब्लू.–25 श्रीमती अदिति राय, पी.डब्लू.–26 राम निरंजन शुक्ला, पी.डब्लू.–27 आशीष सोनकर, पी.डब्लू.–28 धनन्जय, पी.डब्लू.–29 कु० सपना दूबे, पी.डब्लू.–30 किशन पाल सिंह, पी.डब्लू.–31 श्रीमती श्याम सुंदरी देवी, पी.डब्लू.–32 साधना राय, पी.डब्लू.–33 संतोष कुमार साहनी, पी.डब्लू.– 34 सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, पी.डब्लू.–35 श्रीमती मंजू अग्रवाल, पी.डब्लू.–36 श्रीमती रेनू देवी, पी.डब्लू.–37 सुशील अग्रवाल, पी.डब्लू.–38 द्वारिका प्रसाद केसरी, पी.डब्लू.–39 चन्द्रशेखर तिवारी, पी.डब्लू.–40 के०एल०वर्मा, पी.डब्लू. 41– कां० डी०पी०शुक्ला, पी.डब्लू.–42 एस०आई० वैंकटेश तिवारी, पी.डब्लू.–43 डा. आर.पी. गुप्ता, पी.डब्लू.–44 डॉक्टर लाल चन्द यादव, पी.डब्लू.–45 डां. राजेश कुमार, पी.डब्लू.–46 डां. देवेन्द्र प्रताप सिंह, पी.डब्लू.–47 निरीक्षक अजय कुमार सिंह को परीक्षित कराया गया । अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य दाखिल की गयी।

10. पी.डब्लू.–1 एस०आई० समरजीत सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वे दि० 07.03.2006 को थाना लंका वाराणसी में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उस दिन दि० 07.03.2006 को वे कां० शमीम, कां० दिलीप व कां० अजय कुमार राय व चालक अमिताभ राय के साथ शांति व्यवस्था डयूटी में संकटमोचन तिराहे पर समय करीब 18.15 बजे तैनात थे, तभी संकटमोचन मंदिर की तरफ तेज धमाकेदार आवाज सुनाई पड़ी जिस पर वे फोर्स को लेकर मंदिर की तरफ दौड़ते हुये गये तो देखा कि लोग भागते गिरते पड़ते भाग रहे थे। दुकानें धडाधड बंद हो रही थीं। मंदिर परिसर में अफरा तफरी का माहौल था और लोगों के चीत्कारने कराहने की आवाजें आ रही थीं, बहुत से लोग घायल अवस्था में वहां गिरे पड़े थे और कुछ संभवतः मृत अवस्था में पड़े हुये थे। वहां जूते, चप्पल, और लोगों के सामान इत्यादि बिखरे पडे थे। उन्होंने उसी समय जरिये मोबाइल थाना लंका, आस पास के थानों व कंट्रोल रूम को सूचना दी और फोर्स भेजने के लिये कहा और बी०एच०यू० इमरजेंसी व अन्य अस्पतालों को अलर्ट करने के लिये कहा। उन्होंने वहां तत्काल जो भी घायल लोग पडे थे उन्हें उपस्थित अन्य लोगों के सहयोग से जो भी साधन मिलते गये उससे बी.एच.यू. इमर्जेंसी व नजदीक के अन्य अस्पतालों में भेजा गया। इसी बीच जरिये आर०टी० सैट व अन्य माध्यमों से उसे यह सूचना मिली कि अभी अभी एक ऐसा ही विस्फोट कैंट रेलवे वाराणसी पर भी हुआ है। वहां पर भी बहुत से लोग घायल हुये हैं। उसने परिसर में जो भी घायल व मृत अवस्था में पड़े थे, उन्हें अस्पताल भेजकर घटना स्थल को सुरक्षित रखने के उददेश्य से रस्सी से चारों ओर से घिरवा दिया गया व मुख्य गेट को अन्य छोटे बडे गेटों को बंद करवाकर सघन तलाशी ली गयी। इस प्रकार इन दोनों घटना स्थलों को देखते हुए उसे यह प्रतीत ही नहीं व बल्कि पूर्ण विश्वास हो गया कि यह समाज व राष्ट्र को अव्यवस्थित करने वाली कुछ

आतकंवादियों द्वारा की गयी व रची गई ऐसी घटना है, जिससे समाज के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ा जा सके। चूंकि घटना के बाद वह नजदीकि बी.एच.यू. इमरजेंसी व हेरिटेल अस्पताल लेकर पहुंचा गया, क्योंकि ये दोनों ही उनके लंका थाना क्षेत्र में हैं। वहां घायलों के उपचार व अन्य देखभाल व्यवस्था में लगा रहा और इस घटना में जो भी मृत थे, उनका पंचायतनामा व अन्य कार्यवाहियों में व्यस्त रहा। इस घटना की तहरीरी रिपोर्ट उसके द्वारा लिखकर थाना लंका पर 08.03.2006 को सुबह 7.20 बजे देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। तहरीर रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में हैं। साक्षी ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूपमें साबित किया गया है।

11. पी.डब्लू. 2 राम अवध यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि अक्टूबर 1988 से सितम्बर 2003 तक एस.पी. सिटी कार्यालय इलाहाबाद में कांस्टेबिल व हैड. कांस्टेबिल के पद पर तैनात था। 2001 तक वह कांस्टेबिल था। उसी वर्ष हैड कांस्टेबिल तैनात हो गया। सन 2001 में वह एस०पी० सिटी ऑफिस इलाहाबाद में कार्यरत था। सन 2001 में थाना फूलपुर इलाहाबाद में अभियुक्त हाजिर अदालत वलीउल्ला व उसके भाई गिरफ्तार किये गये थे, भाई का नाम नहीं मालूम। इस मुकदमें के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा इनको कचहरी में पेश किया गया था। उसने वलीउल्ला को पेश होते समय देखा व पहचाना था, जो हाजिर अदालत है। उसके बाद उसका स्थानान्तरण एस०पी० सिटी कार्यालय वाराणसी में हुआ था। दि० 04.03.2006 को प्रातः 10 बजे वह कैंट रेलवे स्टेशन से कचहरी वाराणसी जा रहा था तो उसने रोडवेज बस स्टैंड की तरफ से पैट्रोल पंप के पास वलीउल्ला व तीन अन्य लोगों को आते देखा था। उसने सोचा कि ये किसी रिश्तेदारी या किसी सम्मेलन में आये होगें। संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट की घटना दि० 07.03.2006 को हुई थी तो उसने यह संभावना व्यक्त की, कि इस घटना में इनका हाथ हो सकता है।

12. पी.डब्लू. 3 सीताराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की समय 4–4.30 बजे की थी, वह अपनी दुकान से अगस्त कुंडा गया था तो उसने देखा कि चार आदमी खडे थे, एक आदमी बैग लेकर अलग खड़ा था। अन्य तीन आदमी भी एक दूसरा बैग लेकर खड़े थे, तीन आदमी आगे बढ़े तो चौथे आदमी ने सड़क पर बैग रख कर उनके पीछे चल दिया था। यह आदमी पैदल गया। दो आदमी एक रिक्शा पर बैठ गये और एक आदमी अलग रिक्शे पर बैठ गया। इन तीनों आदमियों में से एक के दाढ़ी थी। यह लोग गौदलिया चौराहे से लंका की ओर गये। उसी दिन शाम को संकट मोचन मंदिर पर बम ब्लास्ट हो गया। एक महीने बाद उसने टी.वी. में देखा तो पहचाना कि दाढ़ी वाले आदमी का फोटो है। अखबारों में निकला तो उसने नाम हबीबुल्लाह पढा था। हाजिर अदालत मुल्जिम को देखकर कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसको उसने टी.वी. में देखा था।

13. अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर पुनः मुख्य परीक्षा की गयी तो उसने कहा कि जब उसने चारों आदमियों को देखा तब उनमें से एक आदमी मुल्जिम हाजिर अदालत था। सड़क के किनारे ये लोग बैग रखकर गये थे। उस बैग में बम निकला था अखबारों व टी.वी. में हबीबुल्लाह का

चेहरा पहचाना था।

14. पी.डब्लू. 4 मोहन साब ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसकी कपड़े की दुकान दशाश्वमेघ रोड़ पर है। यह घटना दि० 07.03.2006 के दिन के साढ़े चार बजे की है। उसने देखा कि चार आदमी आ रहे थे, दो आदमी के हाथ में दो बैग थे। ये लोग उसकी दुकान के सामने आये जो हड़बडाये हुये थे। एक आदमी सड़क के किनारे रेलिंग के पास रूक गया, एक बैग उसके हाथ में था उसने इस बैग को जमींन पर रख दिया, बाकी तीन आगे बढ़े। आगे बढ़कर दो रिक्शा किये, जिसमें एक दाढ़ी वाला था उसके हाथ में बैग था वह रिक्शे पर बैठ गया। दो व्यक्ति अलग दूसरे रिक्शे पर बैठे। ये लोग लंका की तरफ मुड़ गये। बैग रखने वाला थोडी देर खड़ा रहा, फिर वह पैदल लंका की ओर चला गया। डेढ़ घंटे बाद उसने सुना कि संकटमोचन में बम विस्फोट हुआ। एक महीना बाद टी.वी. में व न्यूजपेपर में पढ़ा एवं फोटों भी देखी। दाढ़ी वाले आदमी का नाम वलीउल्ला था उसे पहचाना। यह आदमी उन चार आदमियों में शामिल था जो बैग रखे थे। मुल्जिम हाजिर अदालत वलीउल्ला उन चार आदमियों में था। जो बैग खोला गया वह उसके सामने पुलिस वालों एवं बम डिस्पोजल वालों के सामने खोला गया। वे लोग मास्क लगाये थे उसमें बम निकला।

15. पी.डब्लू.–5 तारकेश्वर नाथ ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वाराणसी में बम ब्लास्ट की घटना दि० 07.03.2006 को हुई थी। यह बम ब्लास्ट संकट मोचन मंदिर तथा कैंट रेलवे स्टेशन पर हुआ और तीसरे स्थान जम्मू फाटक के पास विस्फोटकों की बरामदगी हुयी थी। विस्फोट की घटनायें शाम 6.00 बजे से लेकर साढ़े सात बजे शाम के बीच हुई थी। चार मार्च 2006 को जब वह अपने घर से कैंट रेलवे स्टेशन के पास से होता हुआ कचहरी जा रहा था और सुबह दस साढ़े दस बजे का समय था तो उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला शख्स दो तीन व्यक्तियों के साथ स्टेशन की तरफ से आ रहा था। साक्षी ने हाजिर अदालत मुल्जिम को देखकर कहा कि वह दाढ़ी वाला आदमी इसी की तरह का रहा होगा। करीब एक महीने बाद इस शख्स को कोर्ट में पेशी के लिये जाते हुये देखा, टी.वी. व अखबार के माध्यम से भी देखा। जो व्यक्ति उसने चार तारीख को कैंट रेलवे स्टेशन के पास देखा उसको अखबार व टेलीविजन के माध्यम से घटना के एक माह बाद देखा था वह उसी तरह का लग रहा था।

16. पी.डब्लू.–6 किशन सोनकर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वाराणसी में बम ब्लास्ट की घटना दो साल पहले होली के मौसम में सात तारीख को हुई थी। कैंट स्टेशन की घटना और बम ब्लास्ट करीब 6.35 बजे व 6.40 बजे हुआ था। इसके अलावा संकट मोचन मंदिर और दशाश्वमेघ की तरफ भी धमाके हुये थे, बम तीनों जगह फटे थे। इन घटनाओं से तीन चार दिन पहले कैंट स्टेशन पर एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, हाजिर अदालत वलीउल्ला को देखकर कहा जो यही व्यक्ति था, उसके साथ व तीन चार आदमी और देखे थे जो शायद यही व्यक्ति था। करीब एक महीने बाद टेलीविजन और अखबार से देखकर पता चला कि वही दाढ़ी वाला व्यक्ति अदालत ले जाया जा रहा है जिसका चित्र उसने टी.वी. व अखबार में देखा था। चार तारीख को जो

व्यक्ति उसने स्टेशन के पास देखा था और फिर घटना के एक माह बाद जिसका चित्र अखबार व टी.वी. पर देखा था वह एक ही व्यक्ति था। चार तारीख को उसने इस दाढ़ी वाले व्यक्ति को स्टेशन के पास सुबह करीब 10 बजे देखा था। ये कैंट स्टेशन की तरफ ताक रहे थे।

17. पी.डब्लू.–7 डा० अरविंद सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वह दि० 08.03.2006 को मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी के आदेशानुसार अपने तैनाती स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिसिरपुर वाराणसी से चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर स्थित शव विच्छेदन के लिये आये थे। उन्होंने मृतक मनोहर लाल कालोटिया उम्र 65 साल के शव का पोस्टमार्टम किया था। मृतक की मृत्यु चिकित्सीय अभिलेखों के अनुसार सर सुन्दरलाल चिकित्सालय में दिनांक 07.03.2006 को सायं 07 बजकर 30 मिनट पर हुई प्रमाणित थी एवं जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम द्वारा भी हुई है। मृतक के शरीर पर मृत्यु के उपरान्त पाई जाने वाली अकड़न पूरे शरीर पर मौजूद थी तथा उसके शरीर पर गर्म अंगारों से जलने के निशान तथा उसके सिर के बाल जले हुए थे।

शव पर मृत्यु पूर्व आई चोटें निम्न प्रकार हैं–

1. भारी तादाद में फटे हुए घाव दाहिने जंघा के निचले भाग तथा दाहिने पैर जिससे मांसपेशियां विछिन्न होकर हडडियां, बाहर आ गयी थीं एवं उनका कम्पाउंड कम्यूटेड फ्रेक्चर हो गया था।
2. भारी तादाद में फटे हुए घाव बायीं एडी एवं बायें पैर के अन्दरूनी हिस्से पर मौजूद थे।
3. 4 सेमी X 3 सेमी X हडडी की गहराई तक का फटा हुआ घाव दाहिनी कोहनी के 8 सेमी नीचे निचले हाथ पर अन्दर एवं पीछे की तरफ जहां पर Ulna हडडी टूट गयी थी।
4. मृतक के शव के चेहरे पर सिर पर दोनों बॉहों के पिछले हिस्सों पर एवं उसकी पूरी पीठ पर गर्म अंगारों से जलने के निशान मौजूद थे।

आंतरिक परीक्षण–

मृतक का मस्तिष्क, उसकी झिल्लियां उसके दोनों फेफड़े, उसके हृदय की झिल्ली, पाचन रस की थैली, दोनों गुर्दे एवं यकृत पीले थे जिनसे रक्त निकल चुका था। मृतक का हृदय 180 ग्राम का, उसकी यकृत 960 ग्राम था तथा उसके आमाशय में 200 ग्राम अपाच्य भोजन जिसमें रोटी एवं सब्जी पहचानी गयी, मौजूद थी।

शव विच्छेदन की परिस्थितियों को देखने के उपरान्त उसकी यह राय बनी कि मृतक की मृत्यु ब्लास्ट इंजरी से होने वाली अत्यधिक आई चोटों के कारण हुई रक्तस्राव से उपजे शॉक के कारण हुई थी। शव विच्छेदन रिपोर्ट उनके द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की गयी थी जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–2 के रूपमें साबित किया गया है।

उसी दिन 7.30 बजे सुबह एक अन्य शव अशोक कुमार का शव विच्छेदन किया था।

<u>बाह्य परीक्षण</u>

मृतक के शरीर पर मृत्यु पश्चात पायी जाने वाली अकड़न पूरे शरीर पर मौजूद थी, जिससे मृत्यु के पश्चात का सम्भावित समय लगभग 12 घंटे प्रतीत हो रहा था।

मृतक के शव पर मृत्यु पूर्व की चोटें निम्न हैं–

1. ज्यादा मात्रा में फटी हुई, कटी हुई एवं सूजी हुई चोटें जो चमड़ा, मांसपेशियां एवं हड्डी तक गहरी थी। पूरे चेहरे, माथे, सिर की त्वचा पर मौजूद थे, जिसमें गर्म अंगारों से जलने के निशान एवं कार्बन की राख के कण मौजूद थे।
2. भारी मात्रा में फटी हुई चोटें मृतक के शरीर के पिछले हिस्से में बांयी हाथ के आगे व पिछले हिस्से में, कोख में, छाती पर, घुटने एवं जंघों पर मौजूद थी तथा बायें हाथ की उपरी हडडी टूटी हुई थी।
3. 10 सेमीX 4 सेमी X मस्तिष्क की गहराई तक फटी हुई चोट का निशान बायें कान से एक सेटीमीटर उपर पूरे बायें तरफ सिर पर मौजदू थी।
4. ज्यादा मात्रा में खरोचें एवं सूजी हुई चोटें, दाहिने हाथ के बाहरी एवं अगले हिस्से पर।

आंतरिक चोटें–

1. मृतक की खोपड़ी में बायीं तरफ की Temporal एवं Occipital हडडियां टूटी हुई थी।
2. मस्तिष्क की झिल्लियां एवं मस्तिष्क फटे हुए थे।
3. मस्तिष्क का आधार के Interior एवं Middle Cranial Foss टूटा हुआ था।
4. मृतक के आमाशय में 50 ग्राम Mucus था एवं अन्य आंतरिक अंग सामान्य थे।

उपरोक्त परीक्षण के उपरान्त उसकी राय में मृतक की मृत्य तत्कालिक प्रभाव से जो कि मस्तिष्क एवं खोपड़ी में आई मृत्यु से पूर्व की वर्णित चोटों के कारण जो Explosive Splinter Injury के कारण आई थी। शव विच्छेदन रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार की गयी। साक्षी ने शव विच्छेदन रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया। मृतक को आईं चोटें सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु के लिए पर्याप्त है। मृतक की दिनांक 07.03.2006 को सायं साढ़े छः बजे के लगभग मृत्यु होना सम्भव है।

18. पी.डब्लू.– 8 डा० अतुल कुमार सिंह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दि० 08.03.2006 को वह सी०एम०ओ० कार्यालय में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उस दिन उसके द्वारा श्याम सुन्दर छपाडिया का शव परीक्षण किया गया। मृतक की आयु लगभग 60 वर्ष होगी जिसकी मृत्यु दिनांक 07.03.2006 को समय 6 बजकर 49 मिनट शाम को होना अस्पताल के कागजों में अंकित है–

शव का बाहय परीक्षण

शव पर मृत्यु उपरान्त की अकड़न पूरे शरीर पर मौजूद थी। मृत्यु से पूर्व की मृतक के शरीर पर निम्न चोटें पायी गयीं–

1. फटा हुआ घाव 13 सेमी X 10 सेमी जो बाद विस्फोट के प्रभाव के कारण सिर पर दायीं ओर मौजूद था, जिससे सिर का दायां हिस्सा, मस्तिष्क व ब्रेन मैटर गायब था।
2. बहुत से फटे हुए घाव जो कि बम सिस्फोट के प्रभाव के कारण आये जो दाये हाथ,दायां कंधा व छाती के दाहिने हिस्से पर व पेट पर मौजूद थे।

3. बहुत से फटे हुए घाव जो बम विस्फोट के प्रभाव से आये थे जो कमर पर व हिप्स तक मौजूद थे व जंघा पर भी मौजूद थे। फीमर हड्डी कई जगह से टूटी हुई थी।
4. फटा हुआ घाव जो बम विस्फोट के कारण आया था जो बायें पैर पर अंगुलियों पर व तलुओं पर मौजूद था।

आंतरिक परीक्षण निम्न प्रकार था–

खोपड़ी दायी तरफ Occipital and Perital Temporal Bone टूटी हुई थी। मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई थी व कुछ हिस्सा था, कुछ गायब था।

पसलियों की बारहवीं हड्डी को छोड़कर शेष सभी पसलियां टूटी हुई थी। दाहिना फेफड़ा बाहर निकला हुआ था। Peri Cardium फटा हुआ था। ह्दय 230 ग्राम का था। अमाशय में अधपचा आलू व भोजन वजन करीब 150 ग्राम पाया गया। साक्षी की राय में मृतक की मृत्यु बम विस्फोट में आयी मृत्यु से पूर्व की चोटों के कारण हुई है। मृत्यु चोटें आने के कारण तुरन्त हो गयी थी। उसके द्वारा शव विच्छेदन रिपोर्ट तैयार की गयी थी। यह रिपोर्ट उसके सामने पत्रावली पर है। साक्षी ने शव विच्छेदन आख्या पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। साक्षी ने शव विच्छेदन रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 के रूपमें साबित किया है।

साक्षी ने मृतक के शरीर से घावों में से धातु व प्लास्टिक के अवशेष बरामद करके सील मोहर करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को शव के साथ आये सिपाही के माध्यम से भेज दिये थे। मृतक की मृत्यु बम विस्फोट में आयी चोटों के कारण दिनाक 07.03.2006 को समय लगभग 7.00 बजे होना सम्भव है। मृतक को आयी चोटें सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु के लिए पर्याप्त है

19. पी.डब्लू.–9 डॉ० पी०एन०सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि दि० 08.03.2006 को वह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में चिकित्साधिकारी के रूप में कार्यरत थे उस दिन उन्होंने सुबह 5 बजे मृतका शिवांगी उम्र सवा साल पुत्री विद्याभूषण मिश्रा के शव का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम जिलाधिकारी वाराणसी के आदेशानुसार किया गया था, जिसकी मृत्यु एक तिहाई दिन के पहले होना सम्भव है। शव सील बंद था। शव का परीक्षण किया गया–

<u>बाह्य परीक्षण–</u>

मृत्यु उपरान्त पूरे शरीर में अकड़न मौजूद थी। मृत्यु पूर्व की चोटें निम्न प्रकार हैं–

1. फटा हुआ घाव गोलाकार 3 सेमी परिधि का गुहा तक गहरा बायें कंधे के पीछे की ओर 6 सेमी नीचे मौजूद था।
2. फटा हुआ घाव 2 सेमी X डेढ़ सेमी, गर्दन के पीछे की ओर गर्दन के मध्य से 4 सेमी. बाहर की ओर बायीं तरफ मौजूद था।
3. खरोंच बाये कंधे पर खरोंच का निशान जिसका माप 2 सेमी X1 सेमी था जो गर्दन से बाहर की ओर बायें कंधे पर था।

आंतरिक परीक्षण

1. मस्तिष्क की झिल्ली व मस्तिष्क पीली थी। रक्त निकल चुका था, अन्य अंग सामान्य थे।
2. उरस (Thorax) छठी पसली बायीं तरफ पीछे की ओर टूटी हुई थी।
3. फेफड़े– दाये व बायें फेफड़े विस्फोट के कारण फटे हुए थे। बाये फेफड़े से धातु का एक Spinter निकाला गया जिसको निकालकर सील कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को भेजा गया।
4. ह्रदय – मृतक के ह्रदय का वजन 60 ग्राम था जो आंशिक रूपसे खून से भरा था।
5. उदर– मृतक के मुंह में 6/6 दांत थे। आमाशय में 20 ग्राम Mucus मौजूद था। छोटी आंत में Mucus व Gas मौजूद था। बड़ी आंत में मल व गैस मौजूद था। गाल ब्लेडर भरा हुआ था।
6. यकृत, पैनीक्रयाज, गुर्दे, पीलापन लिये हुए थे, जिसका कारण रक्त का बहर जाना था।

उसकी राय में मृतक की मृत्यु बम विस्फोट में आयी चोटें के कारण फेफड़े फटने से हुई थी। मृतक को आयी चोटें सामान्य रूप से मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी और ये चोटें दिनांक 07.03.2006 को सायं 6.30 –7.00 बजे के लगभग बम विस्फोट के कारण आना संभव थी। शव विच्छेदन रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गयी थी। साक्षी ने शव विच्छेन रिपोर्ट पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की । साक्षी ने शव विच्छेन रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन साक्षी द्वारा 2.30 बजे सुबह जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा से मृतक हरीश बिजलानी आयु करीब 40 वर्ष के शव का शव विच्छेन किया था।

बाह्य परीक्षण–

मृत्यु उपरान्त की अकड़न पूरी शरीर पर मौजूद थी।

मृत्यु पूर्व आयी चोटें–

1. बम विस्फोट के कारण फटा हुआ घाव जिसमें Tattoing के निशान मौजूद थे। 15 सेमी X 8 सेमी माप का मस्तिष्क तक गहरा चेहरे की हडडी वायें चेहरे पर मुख गुहा तक गहरा बायीं और चेहरे पर Temoral भाग के निकट बायें कान का पिन्ना पूरी तरह से गायब था।
2. बहु संख्यक फटे हुए घाव 20 सेमी X 15 सेमी क्षेत्र में छाती के बायी ओर पीछे की तरफ कंधे के क्षेत्र में भुजा से मिले हुए जो कि मांसपेशी तक गहरा था।
3. दो फटे हुए घाव जो बम बिस्फोट के प्रभाव से आये थे जिसके चारों और Tattoing 38 सेमी. X 16 सेमी. मांसपेशी से हड्डी तक गहरा बांयी और पीछे की तरफ बटक पर, बायीं जंघा से मिला हुआ बाहर की ओर।
4. बम विस्फोट के कारण फटा हुआ घाव जिसमें खाल व मांसपेशी उधड चुकी थी। 28 सेमी

X 15 सेमी क्षेत्र में मांसपेशी से हडडी तक गहरा बायं पैर के पीछे की ओर एडी के मोड़ से मिले हुए भाग गायब था, जिसके साथ पैर की छोटी व उससे मिली अंगूली गायब थी व पैर की हडडी में बहु संख्यक अस्थि भंग थे।

5. विस्फोट के कारण फटा हुआ घाव जिसमें मांसपेशी व त्वचा 30 सेमी X 20 सेमी X मांसपेशी से अस्थियों तक गहरा दाहिनी जंघा पर घुटने पैर के अन्दर व पीछे की ओर।

6. पूरी शरीर में सभी अंगों पर सिर से पैर तक विस्फोटक बारूद का पाउडर के साथ Tattoing मौजूद था।

आंतरिक परीक्षण–

सिर में बायीं ओर की खोपड़ी की सामने की ओर वाली साइड व पीछे की हड्डी टूटी हुई थी। मस्तिष्क एवं उसकी झिल्लियां फटी हुई थी तथा मस्तिष्क में सूजन मौजूद थी। मस्तिष्क के आधार पर बायीं और सामने व बीच की Cranial Fossa की हड्डी टूटी हुई थी, साथ में मस्तिष्क में आंतरिक रक्तस्राव भी था।

दोनों फेफड़े, ह्रदय, लीवर, पैनक्रियाज स्पलीन एवं गुर्दे पीलापन लिये हुए थे। उसके आमाशय में अधपचा 300 ग्राम भोजन मौजूद था, जिसमें दाल व चावल पहचाना जा सका। छोटी आंत में पचा हुआ खाना मौजूद था।

उसकी राय में मृतक की मृत्यु बम विस्फोट के कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण जिसमें मुख्य रूपसे मस्तिष्क एवं सिर में आयी चोट के परिणामस्वरूप तात्कालिक मृत्यु शॉक के कारण आना पायी गयी। मृतक के शरीर पर आई चोटें सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। मृतक की मृत्यु दिनांक 07.03.2006 को सायं 6.30 बजे होना बम विस्फोट के कारण संभव थी। चिकित्सीय अभिलेखों के अनुसार मृतक की मृत्यु Heritage Hospital में दिनांक 07.03.2006 को 6.35 बजे होना अंकित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके लेख व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने शव विच्छेदन रिपोर्ट को प्रदर्श क–6 के रूपमें साबित किया है।

20. पी.डब्लू.–10 ललित बहादुर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया गया है कि घटना दि० 07.03.2006 की है। वह पांच सवा पांच बजे अपने घर के गेट पर था निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय मजदूरों ने काम बंद कर दिया था। उसका मकान संकट मोचन मंदिर से ठीक पूर्व दिशा में 100 मीटर के अंदर ही है। उस दिन 6 बजे के आस पास संकटमोचन मंदिर में धमाका हुआ था। धमाके से धुंआ छा गया था। वह भी दौड़कर वहां पहुंचा। काफी लोग वहां घायल हो गये थे। उसने अन्य लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वह दि० 07.03.2006 को पांच सवा पांच बजे तौगा स्टैंड पर नहीं गया था। उसने वहां किसी भी दाढ़ी वाले व्यक्ति को रिक्शे से आते हुये नहीं देखा। उसने दाढ़ी वाले व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों को बैग देते हुये नहीं देखा। उसने मंदिर की ओर बैग ले जाते हुये किसी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं देखा। उसने हाजिर अदालत मुल्जिम को पहली बार पिछली तिथि पर न्यायालय में देखा था जब वह गवाही पर आया था। इससे पहले उसने अभियुक्त को नहीं देखा। उसने अभियुक्त को टेलीविजन पर भी इस

घटना के सिलसिले में नहीं देखा। संकट मोचन मंदिर के पास दि० 07.03.2006 को उसने किसी ऐसे दाढ़ी वाले व्यक्ति को टैम्पो रिक्शा स्टैंड के पास नहीं देखा जिसकी शक्ल हाजिर अदालत मुल्जिम से मिलती हो।

साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष को साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति प्रदान की गयी।

21. पी.डब्लू.–11 त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह घटना के समय दि० 08.03.2006 को क्षेत्राधिकारी भेलूपुर वाराणसी के पद पर कार्यरत थे। प्रस्तुत मामले में जहां यह घटना घटी वह उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता था। उन्होंने दि० 14.03.2006 को इस केस की विवेचना पूर्व विवेचक से ग्रहण की थी। उन्होंने गवाहान व घायलों के बयान अंकित किये थे तथा मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई। दिनांक 02.04.2006 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा से पूल परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। दिनांक 04.04.2006 को संदिग्ध वलीउल्लाह के हैदरगढ जनपद बाराबंकी में होने की सूचना पर दबिश दी गयी व लखनऊ जाने की सूचना भी प्राप्त हुई। दि० 05.04.2006 को अभियुक्त वलीउल्ला को उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर, विस्फोटक आर०डी०एक्स० एवं डेटोनेटर बरामद किया गया जिसकी फर्द लिखकर तैयार की गयी तथा बरामद माल सील किया गया। माल व मुल्जिम को लेकर थाना गुसाई गंज जनपद लखनऊ आये और मुकदमा कायम कराया। अभियुक्त का बयान अंकित किया गया जिसमें उसने घटना में शामिल होना स्वीकार किया व अपने जुर्म से इकबाल किया। घायलों की इंजरी रिपोर्ट प्राप्त की। दि० 28.04.2006 को अभियुक्त वलीउल्ला ने अपने बांग्लादेशी साथियों जकारिया, मुस्तकीम एवं बशीर के साथ विस्फोट की घटना कारित करना बताया तथा मौलाना जुबैर बडौत बागपत एवं शमीम को भी घटना में शामिल होना बताया। आतंकवादी मौलाना जुबैर के बारे में 11.05.2006 को सूचना प्राप्त हुई कि वह दि० 09.05.2006 को जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कन्ट्रोल पर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। दिनांक 22.06.2006 को दो गवाह भी मोहनसाव व सीताराम यादव के बयान अंकित किये गये है जिन्होनें अखबार व टी.वी. देखकर अभियुक्त वलीउल्ला को घटना स्थल पर पहचानने की बात कही है। उन्होंने अन्य गवाहान के भी बयान लिये तथा मुकदमें के स्थानांतरण के संबंध में पर्चे किता किये।

22. पी.डब्लू.–12 एस०आई० फूलचन्द यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दि० 07.03.2006 को वह थाना महुआडीह में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उसे विशेष डयूटी के लिये थाना लंका में तैनात किया गया था। उसने सी०ओ० भेलूपुर के आदेशानुसार बम विस्फोट की घटना में मृत शिवांगी उम्र सवा साल का पंचायतनामा व उससे संबंधित रिपोर्ट, फोटो नाश तैयार अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किये थे। साक्षी ने पंचायतनामा प्रदर्श क–7, चालान लाश प्रदर्श क–8 व फोटो नाश प्रदर्श क–9 के रूपमें साबित किया है।

23. पी.डब्लू.–13 कां० घनश्याम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है

कि दि० 08.03.2006 को वह थाना लंका में बतौर कांस्टेबल मौहर्रिर तैनात था। उस दिन 7.20 बजे अ०सं० 28/2006 धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धारा–302, 307, 324, 326 भा०द०सं० बनाम अज्ञात कायम हुआ था जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 7.20 बजे उसके द्वारा मुकदमा वादी समरजीत सिंह एस०ओ० थाना लंका की तहरीर के आधार पर लिखी गयी थी। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–10 के रूपमें साबित किया है। प्रदर्श क–1 तहरीर देखकर उसकी पुश्त पर दर्ज विवरण उसके लेख व हस्ताक्षर में है जो कि प्रदर्श क–11 है। इस मुकदमे की कायमी जी०डी० उसी दिन रपट सं० 16 समय 7.20 बजे एस०ओ० समरजीत सिंह के बोलने पर कां० हृदय नारायण यादव के द्वारा लिखी गयी थी जिनके लेख व हस्ताक्षर वह पहचानता है साक्षी ने नकल जी.डी. को प्रदर्श क–12 के रूपमें साबित किया गया है।

24. पी.डब्लू.–14 शीला देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि लगभग 4 वर्ष हो गये हैं। करीब चार साल पहले वह संकट मोचन मंदिर में अपनी मौसेरी सास की पोती रेनू की शादी में आई थी। शादी में और लोग भी शामिल थे। शाम के 6–6.30 बजे का समय था, बम फटा था, जिससे धुंआ व अंधेरा हो गया था। बम विस्फोट से उसके पैर व सिर में चोट लगी थी, वह गिर गयी थी । 4–5 अन्य जनों को भी चोटें आयी थी। उसे कपिचौरा अस्पताल में घायल अवस्था में दाखिल किया था। जहां उसका इलाज हुआ था। उसे नहीं मालूम कि यह बम विस्फोट किसने किया।

25. पी.डब्लू.–15 श्रीमती चमेली देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वह संकट मोचन मंदिर पर गयी थी तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं, शाम के 6–6.30 बजे का समय था वह रेनू की शादी में सम्मिलित होने गयी थी, वहां बम विस्फोट हुआ था। अंधेरा हो गया था, धुंआ निकला। उसके चोट लगी व भगदड़ मच गयी थी। उसे कपिचौरा अस्पताल में चोटों के इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। मंदिर में कई शादियां थीं, हजारों आदमी मौजूद थे, उसने बम विस्फोट करने वाले को नहीं देखा। बाद में भी बम विस्फोट करने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।

26. पी.डब्लू.–16 रेखा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि करीब चार वर्ष पहले की बात है शाम के 6–6.30 बजे का समय था। वह संकटमोचन मंदिर पर अपनी बहन रेनू की शादी में गयी थी वहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। बिदाई की तैयारी कर रहे थे कि तभी बम फटा और अंधेरा हो गया। उसे व उसके रिश्तेदारों के चोट आयी थीं। उसका कपिचौरा अस्पताल में इलाज हुआ था। संकट मोचन मंदिर में उस दिन और भी शादी थीं। उसने किसी को बम रखते हुये व बम विस्फोट करते हुये नहीं देखा। उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

27. पी.डब्लू.–17 श्रीमती सुदामा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है

कि चार वर्ष पहले की बात है वह अपनी भतीजी रेणु की शादी में संकटमोचन मंदिर वाराणसी में आई थी। उसका नाती बाबू पुत्र श्री शिवपूजन उम्र तीन वर्ष उसके साथ आया हुआ था। घटना का समय 6–6.15 बजे का शाम का रहा था। इस शादी में उसके सगे सम्बन्धी भी आये हुए थे। ये लोग संकट मोचन मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वहां पर बहुत तेज धमाका हुआ। धमका जबरदस्त था, काफी धुंआ उठा था। इस घटना में उसे व उसके नाती बाबू को भी चोटें आयी थी। उसके पेट, दाहिनी बगल व पैरों में चोट आयी थीं। वे बेहोश हो गये थे। उसके नाती बाबू के भी चोटें आयी थीं। बेहोशी की हालत में उनको एस०एस०पी०जी० अस्पताल वाराणसी में दाखिल किया गया था। जहां उनका इलाज चला। उसका दरोगा जी ने होश आने पर बयान लिया था। धमाका किसने किया, वह इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। धमाका करने वाले को उसने नहीं देखा।

28. पी.डब्लू.–18 रेनू मौर्या ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसकी शादी 07.03.2006 को संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हुयी थी। शादी में उनके रिश्तेदार व सगे संबंधी भी शामिल हुये थे। शादी के बाद बिदाई का कार्यक्रम चल रहा था। घटना का समय लगभग 6–6.15 बजे शाम का था। बहुत तेज धमाका हुआ था और लोगों में भगदड़ मच गयी थी। काफी लोग इस घटना में घायल हुए थे। उसे व उसके रिश्तेदारों को बम विस्फोट में चोटें आयी थीं। उस दिन संकट मोचन मंदिर में कई शादियां थी व हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उसे आई चोटों का इलाज कपिल चौराहा में एस.एस.पी.जी. अस्पताल वाराणसी में हुआ था। उसे बम विस्फोट करने वाले के बारे में कुछ पता नहीं है।

29. पी.डब्लू.–19 बाबू उर्फ आर्यन उम्र 8 वर्ष, जिसका न्यायालय द्वारा बयान से पूर्व परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि गवाह बयान देने में सक्षम है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी उम्र 8 वर्ष है, वह रेणु मौसी की शादी में संकट मोचन में गया हुआ था। उसे नहीं मालूम कि संकट मोचन क्या है। शादी में वह नाना नानी तथा मौसी के साथ गया था। मौसी का नाम चंदा है। उसे नहीं मालूम कि वहां क्या हुआ था। उसके पेट में चोट आयी थीं। उसे नहीं मालूम कि चोट कैसे आयी थी। वह घटना के समय तीन साल का था। उसे नहीं मालूम उसे किसने चोट पहुंचायीं चोट लगने से पहले उसने कुछ नहीं सुना। उसे नहीं मालूम उसके घर में किसी और को भी चोट लगी या नहीं। जहां उसे चोट लगी वहां भीड़ काफी थी। चोट उसे शाम को लगी थी। उसे नहीं मालूम कि जहां शादी हुई थी वहां धमाका हुआ था या नहीं?

30. पी.डब्लू.–20 कलावती ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की शाम 6–6.30 बजे की है। वह संकटमोचन मंदिर पर परिक्रमा व पूजा करने गयी थी। जब वह पूजा करके वापसी के लिये चप्पल पहन रही थी तभी बहुत जोर से धमाका हुआ। धमाके से अंधेरा हो गया व धुंआ हो गया। इस बम धमाके से उसके पेट में, जबडे में, कमर में व कनपटी पर चोटें आयी थीं। उसके साथ उसकी लड़की कविता व भतीजी शिवांगी भी थीं। उस समय उसकी लड़की 8 साल की थी तथा शिवांगी डेढ़ वर्ष की थी। इनको भी चोटें आयी थीं। चोटों

के कारण शिवांगी की मौके पर ही मौत हो गयी थी। इस साक्षी ने आगे कथन किया कि वह चोट के बाद बेहोश हो गयी थी और चार पांच दिन बाद होश आया था। बम धमाके में उसके दायें कान की आवाज व दायीं आंख की रोशनी चली गयी है। उसे यह जानकारी नहीं है कि यह घटना किसने घटित की व कैसे घटित हुई?

31. पी.डब्लू.–21 कु० कविता मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसकी माता जी का नाम कलावती मिश्रा है, शिवांगी उसकी चचेरी बहन थी। दि० 07.03.2006 को वह मम्मी व शिवांगी के साथ संकट मोचन मंदिर दर्शन करने शाम को गयी थी। शाम को 6–6.30 बजे जब वे दर्शन करके आ रहे थे तो एक तेजी से विस्फोट हुआ जिसमें भगदड़ मच गयी व खून खराबा हो गया। घटना के समय वहां बहुत से लोग थे। पूरा मंदिर भीड़ से भरा हुआ था। उसकी मां को, उसे व उसकी बहन को चोटें आयी थीं। उनका इलाज हुआ था परंतु अभी तक ठीक नहीं हैं। उसके पैर व सीधे बाजू में चोट आयी थीं। यह विस्फोट आतंकवादियों ने किया था वह उन्हें पहचानती नहीं है। उसकी चोटों का इलाज बी.एच.यू. में हुआ था।

32. पी.डब्लू.–22 शाहिद हुसैन, सेवानिवृत उप निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान में दिया है कि दि० 25.03.2006 को वह थाना लंका में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उस दिन थाने से BHU अस्पताल में वह पहले से ही मौजूद था। समय करीब 14.00 बजे कां. मोतीलाल थाने से कुछ कागजात लेकर आया जिसमें पंचायतनामा भरने का निर्देश था। उसके द्वारा उसी दिन रितेश उपध्याय पुत्र श्री सुशील कुमार उपाध्याय, निवासी आनन्द नगर कन्दवा थाना मडुवाडीह वाराणसी का पंचायतनामा व अन्य कागजात चालान नाश, फोटो नाश तथा चिटठी CMO आदि तैयार किये तथा शव को सील करके कां० मोतीलाल वर्मा के सुपुर्द किया तथा पोस्टमार्टम कराने हेतु हिदायत दी। उसके द्वारा पंचायतनामा तैयार करने के बाद पंचों के हस्ताक्षर कराये गये थे। पंचायतनामें पर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। साक्षी ने पंचायतनामा को प्रदर्श क–13, चालान नाश प्रदर्श क–14, फोटो नाश प्रदर्श क–15 तथा चिटठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क–16 के रूपमें साबित किया गया है।

33. पी.डब्लू.–23 एस०आई० शिवराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दि० 07.03.2006 को वह थाना लंका वाराणसी में तैनात था। दि० 07.03.2006 को थाना लंका क्षेत्र में बम विस्फोट में घायलों के पंचायतनामें हेतु BHU अस्पताल में गया था। वहां पर उसने तीन मृतकों के पंचायतनामें भरे थे। सबसे पहले 21.15 पी०एम० पर मृतक हरीश बिजलानी का पंचायतनामा, चालान नाश, फोटो नाश व अन्य कागजात तैयार किये थे तथा शव को सील करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया था। पंचायतनामा, चालान नाश व फोटो नाश पत्रावली पर दाखिल है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, साक्षी ने मृतक हरीश का पंचनामा व उससे संबंधित कागजात चालान लाश व फोटो नाश प्रदर्श क–17 ता प्रदर्श क–19 के रूपमें साबित किया है। इसके बाद 22.45PM पर उसके द्वारा श्याम सुन्दर छपाडिया का पंचायतनामा, चालान नाश, फोटो नाश

उसके द्वारा तैयार किये गये तथा शव को सील करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया था। साक्षी ने कागजातों पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। साक्षी ने मृतक श्याम सुंदर का पंचायतनामा व अन्य कागजात प्रदर्श क–20 लगायत प्रदर्श क–22 के रूपमें साबित किया। अगले दिन दि० 08.03.2006 को समय 1.45 बजे पर उसके द्वारा मृतक जो पहले अज्ञात था बाद में मनमोहन के रूपमें शिनाख्त की गयी थी का पंचायतनामा, चालान नाश व फोटो नाश तैयार किया गया था तथा लाश को सिलकर पोस्टमार्टम हेतु प्रेषित किया गया । तीनों दस्तावेज उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिन्हें साक्षी ने प्रदर्श क–23 लगायत प्रदर्श क– 25 के रूप में साबित किया है। तीनो मृतकों की चिटठी पत्रावली पर दाखिल हैं, जो उनके हस्तलेख में हैं, जिन्हें साक्षी ने प्रदर्श क–26, प्रदर्श क–27 व प्रदर्श क–28 के रूपमें साबित किया है।

34. पी.डब्लू. 24 श्रीमती रीता राय ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की है उस दिन वह संकट मोचन मंदिर में दर्शन के लिये गई थी। उसने दर्शन कर लिये थे, उस दिन वहां शादियां हो रही थीं। वे बरामदें में खड़े होकर शादियों देख रहे थे। उसके साथ उसकी बेटी अदिति राय व उज्वल राय भी थे। उज्वल राय उस समय दो वर्ष का था। तभी 6.30 बजे शाम बम धमाका हुआ जिसमें बहुत से लोगों को चोटें आईं थीं। उसे तथा उसके बच्चों को भी चोटें आयी थीं। बम विस्फोट बहुत जोर से हुआ था, अंधेरा छा गया था। उसका व उसके बच्चों की चोटों का BHU अस्पताल में इलाज हुआ था। डाक्टरी मुआयना भी हुआ था। उसे कान में, कूल्हें पर, हाथ दाहिने पर चोट आई थी। उसने किसी को बम धमाका करते हुये नहीं देखा और न ही उसे इस घटना को करने वाले के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है।

35. पी.डब्लू.–25 कु० अदिति राय उम्र 12 साल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि करीब चार साल पहले की बात है, वह अपनी माता रीता राय के साथ संकट मोचन मंदिर दर्शन के लिये गयी थी, उसके साथ उसका भाई उज्वल राय भी था। दर्शन करने के बाद परिक्रमा के लिए जा रहे थे, तभी एक धमाका हुआ। चारों तरफ अंधेरा हो गया उसके बाद उसने अपने आपको अस्पताल में पाया। बम धमाके में उसके चोटें आयी थीं। उसने बम विस्फोट करने वाले को नहीं देखा, वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसका चिकित्सीय परीक्षण हुआ था। आज भी उसे बम विस्फोट करने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसकी माता व भाई को भी उक्त घटना में चोटें आयी थीं। उसका भाई उस समय बहुत छोटा था।

36. पी.डब्लू.–26 राम निरंजन शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दि० 07.03.2006 को वह थाना लंका में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाने से कां० मोतीलाल वर्मा के साथ हेरीटेज अस्पताल आया और उस दिन उसने उक्त अस्पताल की मोर्चरी में प्रभाकर द्विवेदी के शव का पंचायतनामा व अन्य कागजात तैयार किये तथा पंच आदि को पढ़कर सुनाकर उनके हस्ताक्षर कराये तथा शव को सील कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया। साक्षी ने पंचायतनामा, चिटठी सी०एम०ओ०, फोटो नाश तथा चालान नाश आदि पर अपने लेख व

हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा प्रदर्श क–26 ता प्रदर्श क–29 के रूप में साबित किया है।

37. दि० 08.03.2006 को उसे अ०सं० 28/2006 अंतर्गत धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व धारा 15/16 समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम एवं धारा 302, 307, 326, 324 भा०द०सं० की विवेचना मिली थी। उन्होंने वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क–30 बनाया था। साक्षी ने घटना स्थल के नक्शा नजरी पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा प्रदर्श क–30 के रूपमें साबित किया। घटनास्थल से खून आलूदा व सादा मिटटी तथा घटनास्थल पर पड़े अन्य सामान को कब्जे में लेकर फर्द बनायी थी जो साक्षी के हस्तलेख में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–31 के रूप में साबित किया है। घटनास्थल पर बम डिस्पोजल दस्ते के प्रभारी किशन पाल सिंह रावत, जो मौके पर आये थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 08.03.2006 उसे दी थी तथा उन्होंने मौके से जो बम के अवशेष लिये थे, वह उसे सौंपे थे, जिसकी फर्द उसके द्वारा बनायी गयी थी। साक्षी ने फर्द पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा फर्द को प्रदर्श क–32 के रूपमें साबित किया। किशन पाल रावत द्वारा उसे रिपोर्ट प्रदर्श क–33 दी गयी थी। दि० 09.03.2006 को एस.एस.पी. स्पेशल टॉस्क फोर्स वाराणसी के आदेश से विवेचना अन्य अधिकारी को स्थानांतरित की गयी। जो माल उन्होंने घटनास्थल से कब्जे में लिया था वह न्यायालय में मौजूद है, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा से परीक्षण के बाद प्राप्त हुआ है, जिसमें से एक डिब्बा टीन का तथा तीन अन्य पुलिन्दे निकले। सर्वप्रथम टीन का डिब्बा जो अपराध संख्या 28/2006 से सम्बन्धित है, आज साक्षी के समक्ष है, जिसे मौके पर सील किया गया था, जिसमें मौके से इकटठा खून आलूदा मिटटी ली गयी थी। इस डिब्बे पर जो कपडे में सील है पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया। एक अन्य पुलिन्दा जो सील मोहर है जिसमें बम के अवशेष एकत्र किये गये है जिसका प्रयोग घटना स्थल पर किया गया था। उसके समक्ष है जिस पर वस्तु प्रदर्श–3 पहले से ही अंकित है। यह समस्त माल उसे किशनपाल सिंह रावत प्रभारी निरीक्षक बम विस्फोटक स्क्वायड द्वारा कब्जे में दिये गये थे।

38. पी.डब्लू.–27 आशीष सोनकर उम्र 15 साल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दि० 07.03.2006 की घटना है। उस दिन वह हरीश बिजलानी के साथ जो उसका मालिक है, वीडियोग्राफी के लिये संकट मोचन मंदिर बनारस गया था। यह वीडियोग्राफी एक शादी समारोह की होने वाली थी। शायं करीब 6–6.30 बजे एक जोरदार बम धमाका हुआ जिससे सब अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का एक दूसरे से सम्पर्क टूट गया। बहुत से लोग घायल हो गये। उसका मालिक हरीश बिजलानी इस घटना में मर गया। उसकी दायीं टांग में काफी चोटें आयी थी, कई जगहों से मांस उड़ गया। शरीर के अन्य भागों में भी बहुत चोट आई। उसकी चोटों का इलाज BHU में हुआ था। जहां उसे लोगों ने भर्ती कराया था, उसका डेढ़ वर्ष तक इलाज चला था। वह डेढ़ माह तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसने घटनास्थल पर किसी भी आदमी को इधर उधर संदिग्ध अवस्था में नहीं देखा था। वह घटना कारित करने वाले को शक्ल से नहीं पहचानता है।

साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया और अभियोजन

पक्ष को साक्षी से जिरह की अनुमति दी गयी।

39. पी.डब्लू.–28 धनंजय, जिसे यू०के०जी० में पढ़ना बताया गया है, को साक्ष्य में परीक्षित किये जाने हेतु न्यायालय के द्वारा प्रश्न किये गये परंतु न्यायालय द्वारा साक्षी को साक्ष्य देने के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया।

40. पी.डब्लू.–29 सपना दूबे उम्र 16 वर्ष ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना मार्च सन 2007 दिन मंगलवार की है। वह तथा उसका भाई धनंजय दूबे संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने गये थे, शायं के 6 बजे का समय था, तभी उसका भाई धनंजय उससे छूटकर भागा जिसे वह पकड़ने गयीं वहां ओर लोग भी थे, जो घायल हो गये थे। उसे धमाका सिलेण्डर का लगा था, लेकिन लोग बोल रहे थे कि बम धमाका है। उसे यह जानकारी नहीं कि धमाका किसने किया। घटना के बाद आज तक उसे यह नहीं पता धमाका किसने किया था। उसका भाई धनंजय 10 वर्ष का है, घटना के समय उसकी उम्र 4 वर्ष थी परन्तु गलती से दो वर्ष लिखी गयी। उसका भाई आज अदालत आया है। उसका व उसके भाई का इलाज बी०एच०यू० में हुआ था। धनंजय को चोट लगने के बाद वह बढ़ नहीं रहा है।

साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन पक्ष को साक्षी से जिरह करने की अनुमति प्रदान की गयी।

41. पी.डब्लू.–30 एस०आई० किशन पाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दि० 07.03.2006 को बम डिस्पोजल स्कवायड काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद पर तैनात था। सूचना आर०टी० सैट से प्राप्त होने के बाद वह तथा उसका दल खोजी कुत्तों व उपकरणों सहित संकट मोचन मंदिर, जो थाना लंका के अंदर पड़ता है, का मुआयना किया। घटना स्थल से अन्य कोई विस्फोटक सामग्री प्राप्त नहीं हुई। निरीक्षण के दौरान घटनास्थल से विस्फोटक सामग्री के नमूना अवशेष प्राप्त हुये थे जिनको घटना स्थल से एकत्र करने के उपरांत लंका थाने पर दाखिल किया था, तभी घटना स्थल का निरीक्षण किया था। अवशेष एकत्र करने की फर्द तैयार की जो पत्रावली पर अभिलेख संख्या प्रदर्श क–33 के रूपमें दाखिल है जो उसके हाथ की लिखी व दस्तखती है जिसकी साक्षी ने शिनाख्त की है। एक पुलिन्दा खोला गया जिसमें से मौके से बरामद विस्फोटक के अवशेष जो उसके द्वारा एकत्र किये गये थे, उपलब्ध है, जिसमें प्रेशर कूकर के टुकड़े, नट बोल्ट व कील के टुकड़े व लाल कपड़े के टुकडे हैं। यह वही सामान है जो घटनास्थल से उसने एकत्र किया है। इन अवशेषों पर वस्तु प्रदर्श–1 अंकित किया गया। इसके अलावा लाल व काले कपड़े के छोटे–छोटे टुकडों को साक्षी ने शिनाख्त किया जिन पर वस्तु प्रदर्श–2 अंकित किया गया है। जिस कपडे में वस्तु प्रदर्श–1 व 2 सील किये गये थे, उस पर वस्तु प्रदर्श–3 अंकित किया गया। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि "जो अवशेष मौके से प्राप्त हुये उनको देखने से प्रतीत होता है कि प्रेशर कूकर को बम के रूप में इस्तेमाल किया गया है।"

42. पी.डब्लू.–31 श्रीमती श्याम सुंदरी देवी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दि० 07.03.2006 की घटना है उस दिन वह संकट मोचन मंदिर में अपनी बेटी साधना राय के साथ दर्शन के लिये गयी थी और भी लोग वहां मौजूद थे। शाम के करीब 6–6.30 बजे के बीच जोर का बम धमाका हुआ था जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गयी थी। उसकी लड़की उससे अलग हो गयी। उसे लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया। उसे बी०एच०यू० सर सुन्दर राम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। उसके शरीर में बम विस्फोट के परिणामस्वरूप चोटें आयी व उसके सुनने की शक्ति क्षीण हो गयी। उसे नहीं मालूम कि ये बम विस्फोट किसने किया। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित वलीउल्ला को देखकर कहा कि वह इन्हें नहीं पहचानती। उसने घटना कारित करते समय हाजिर अदालत वलीउल्ला व अन्य किसी को नहीं देखा। उसकी बेटी साधना राय भी घायल हुई थी।

43. पी.डब्लू.–32 साधना राय ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दि० 07.03.2006 की घटना है वह अपनी माता जी के साथ शाम को संकट मोचन मंदिर दर्शन हेतु गयी थी। जब ये दर्शन करने के बाद परिक्रमा कर रहे थे तो समय करीब 06–6.30 बजे एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें उसे व उसकी माता जी को गंभीर चोटें आयी थीं। ये लोग बेहोश हो गये थे। उसके हाथ से उसकी माता जी का हाथ छूट गया और वे अलग अलग हो गये थे। उसके घुटने व चेहरे पर चोटें आयीं थी। उनकी हड्डियां टूट गयी थीं। उन दोनों को इलाज हेतु बी०एच०यू० में भर्ती कराया गया था, जहां इन लोगों को होश आया था। चोटों के कारण उसकी माता जी चलने फिरने में असमर्थ है व सुनने की शक्ति क्षीण हो गयी। वह घटना कारित करने वाले को नहीं जानती, न ही उसने किसी को घटना कारित करते हुये देखा, वह आज भी किसी को नहीं पहचानती है।

44. पी.डब्लू.–33 संतोष कुमार साहनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की शाम 6– 6.30 बजे की है। वह उस दिन अपने मालिक मनोहर लाल कलोटिया के रिश्तेदार की शादी में संकटमोचन मंदिर में मौजूद था। शादी का समारोह चल रहा था। उसी दौरान एक बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट के कारण उसे चोट आयी, वह बहुत दूर जाकर गिरा। वह घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया। इस घटना में उसका मालिक मनोहर लाल भालोटिया व अन्य बहुत से लोगों को चोटें आईं। उसके मालिक की बाद में मृत्यु हो गयी थी। उसे जनता के लोग BHU अस्पताल ले गये थे। घटना में उसकी दायीं टांग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी, जो बाद में 2/3 भाग काटनी पड़ी। अब वह कृत्रिम टांग से बामुश्किल चल पाता है। उसने इस घटना को करते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा। ऐसा भी नहीं है कि उसने वहां किसी संदिग्ध व्यक्ति को जो चौकन्ना सा था जो घटना से चन्द मिनट पहले घटना स्थल से गया हो उसने नहीं देखा। उसने किसी व्यक्ति को जिसने घटना कारित की हो नहीं पहचाना। साक्षी ने हाजिर अदालत अभियुक्त को देखकर कहा कि उसने घटना वाले दिन घटना स्थल पर इसे नहीं देखा।

साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोन पक्ष को साक्षी से जिरह करने की अनुमति प्रदान की गयी।

45. पी.डब्लू.–34 सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की है। उस दिन उसकी संकटमोचन मंदिर थाना लंका में शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए उसके रिश्तेदार तथा लड़की पक्ष वाले भी मौजूद थे। इसके अलावा और भी लोग मंदिर में मौजूद थे। उस दिन मंगलवार था। बहुत अधिक भीड़ थी, जो हजारों में भी हो सकती है। शाम 6.15 बजे शादी के उपरान्त आशीर्वाद समारोह चल रहा था कि तभी तेज धमाका हुआ। चारों तरफ धुंआ फैल गया। कुछ नजर नहीं आ रहा था। बम विस्फोट में उसे व उसकी पत्नी मंजू, उसके पिता सत्यनारायण प्रसाद, मनोहर लाल, श्याम सुन्दर छाबडिया, गुरू जी डॉक्टर प्रभाकर द्विवेदी तथा अन्य आठ–दस लोगों को चोटें आयीं थी। इस घटना में उसके फूफा जी मनोहर लाल, उसके ससुर श्री श्याम सुंदर तथा गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। उन्हें घायल अवस्था में लोगों की मदद से बनारस विश्व विद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चला। बम विस्फोट किसने किया उसे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने घटना कारित करते हुये किसी को नहीं देखा। उसके पिता जी श्री सत्य नारायण प्रसाद का बम विस्फोट के कारण एक पैर काटना पड़ा। इस समय वह चलने फिरने में कतई असमर्थ हैं।

46. पी.डब्लू.–35 श्रीमती मंजू अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की है। उस दिन उसकी संकटमोचन मंदिर थाना लंका में शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए उसके रिश्तेदार तथा लड़के पक्ष वाले भी मौजूद थे। इसके अलावा और भी लोग मंदिर में मौजूद थे। उस दिन मंगलवार था। बहुत अधिक भीड़ थी, जो हजारों में भी हो सकती है। शाम 6.15 बजे शादी के उपरान्त आशीर्वाद समारोह चल रहा था कि तभी तेज धमाका हुआ। चारों तरफ धुंआ फैल गया। कुछ नजर नहीं आ रहा था। बम विस्फोट में उसे, उसके पति सुरेन्द्र अग्रवाल, उसके ससुर सत्यनारायण प्रसाद, मनोहर लाल, उसे पिता श्री श्याम सुन्दर छाबडिया, गुरू जी डॉ. प्रभाकर द्विवेदी तथा अन्य आठ–दस लोगों को चोटें आयीं थी। इस घटना में उसके फुफिया ससुर मनोहर लाल, उसके पिता श्याम सुंदर तथा गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। उन्हें घायल अवस्था में लोगों की मदद से बनारस विश्व विद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चला। बम विस्फोट किसने किया उसे इसके सम्बंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने घटना कारित करते हुये किसी को नहीं देखा। आज भी वह किसी को नहीं बता सकती कि किसने घटना कारित की। उसके ससुर श्री सत्य नारायण प्रसाद की बम विस्फोट के द्वारा एक पैर काटना पड़ा। इस समय वह चलने फिरने में कतई असमर्थ हैं।

47. पी.डब्लू.–36 श्रीमती रेनू देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसका नाम रेनू अग्रवाल पत्नी सुरेन्द्र अग्रवाल गलती से आरोपपत्र में लिखा गया है। इस नाम की कोई ओर महिला नहीं है। दिनांक 07.03.2006 को उसके देवर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल की शादी थी, जिसमें वह, उसके पति प्रमोद कुमार अग्रवाल, ससुर श्री सत्य नारायण अग्रवाल तथा छोटे देवर श्री सुशील कुमार अग्रवाल व अन्य लोग शामिल हुए थे। यह शादी संकट मोचन मंदिर थाना लंका

वाराणसी में सम्पन्न होनी थी, जिसमें शामिल होने के लिए उसके अन्य रिश्तेदार एवं मेल जोल के लोग शामिल थे। उस दिन संकट मोचन में और भी शादिया थीं। सैंकड़ो आदमी वहां मौजूद थे। उसके देवर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल की शादी का समारोह चल रहा था और आशीर्वाद का प्रोग्राम हो रहा था। तभी 6.15 बजे एक जोरदार बम धमाका हुआ। चारों ओर अंधेरा छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस बम विस्फोट में वह, उसका देवर सुरेन्द्र कुमार तथा उसकी पत्नी मंजू अग्रवाल, उसके ससुर सत्यानारायण, उसके फुफिया ससुर मनोहर लाल, गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी तथा उसकी देवरानी मंजू अग्रवाल के पिता श्याम सुन्दर छाबड़िया भी घायल हुए थे। इनमें से फुफिया ससुर मनोहर लाल, मंजू अग्रवाल के पिता श्याम सुंदर छाबडिया तथा गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। शेष दस–पन्द्रह आदमी जो उनके परिवार के अन्य लोग थे, उन्हें बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के अस्पताल में इलाज हेतु ले गए थे। उसके दांई बाजू, जांघ व कमर पर बम विस्फोट की चोटें आयीं थी। उसके ससुर सत्यनारायण का दाहिना पैर पूरी तरह नष्ट हो गया, अब वह चलने फिरने लायक नहीं हैं। यह बम विस्फोट किसने किया उसे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने घटना कारित करते हुये किसी को नहीं देखा। उसे कोई जानकारी नहीं है कि यह बम विस्फोट की घटना किसने की है।

48. पी.डब्लू.–37 श्री सुशील अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वह अम्बिकापुर प्रांत छत्तीसगढ जिला–सरगुजा में ठेकेदारी का काम करता था। उसके भाई सुरेन्द्र कुमार की शादी दिनांक 07.03.2006 को संकटमोचन मन्दिर थाना लंका जनपद वाराणसी में सम्पन्न होनी थी, जिसमें वह सम्मिलित होने के लिए गया था, उसके भाई की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शाम के लगभग छः बजकर पन्द्रह मिनट पर विस्फोट हुआ, जिससे बड़ी जोर से धमाका हुआ, चारों तरफ धुंआ हो गया। कुछ दिखायी नहीं दे रहा था। इस बम विस्फोट के कारण उसे, उसके पिता श्री सत्यनारायण, प्रमोद कुमार, सुरेन्द्र कुमार, मंजू देवी, रेनू देवी के चोटें आयीं तथा कुछ लोग श्याम सुन्दर छापडिया तथा गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी, मनोहर लाल की मौके पर मृत्यु हो गयी। उसके भाई सुरेन्द्र की बडी उम्र में शादी हुई थी और लड़की वाले काठमांडू नेपाल के रहने वाले थे इसलिए उधर के लोगों के नाम व पते वह अच्छी तरह से नहीं जानता। शादी समारोह जब खत्म होने को था, तो एक व्यक्ति चौकन्ना सा नजर आ रहा था, जिसे उसने देखा था। उसे ऐसा लगता था कि उस चौकन्ने व्यक्ति ने ही यह घटना की हो। साक्षी को हाजिर अदालत मुल्जिम वलीउल्लाह को दिखाया गया, गवाह ने देखकर कहा कि यह वह व्यक्ति नहीं है, जो उस दिन उसने घटना स्थल पर चौकन्नी अवस्था में देखा था। उसे चोट लगने के बाद बी.एच.यू. अस्पताल ले गए थे, जहां उसका उपचार चला था। उसके बाएं हाथ व पैर में चोट आयी थी। उसके पिता सत्यनारायण के भी अत्यधिक गम्भीर चोटें आयीं थी और उनका एक पांव काटना पड़ा। उसके भाई की शादी के अलावा वहां और भी अन्य शादियां हो रहीं थीं, हजारों की भीड थी। उनके परिवार के अलावा अन्य लोग भी घायल हुए थे।

49. पी.डब्लू.–38 श्री द्वारिका प्रसाद केसरी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान

दिया है कि वह ग्राम इटाढी में लेमन जूस बेचने की छोटी सी दुकान करता है। दिनांक 07.03.2006 को वह अपने साले भरत लाल केसरी की लड़की उषा की शादी में शामिल होने के लिए संकट मोचन मन्दिर, वाराणसी आया हुआ था। शादी की सभी रस्म पूरी हो गयी थी, दूल्हा दुल्हन व रिश्तेदार चले गये थे। वह व उसकी पत्नी गुलाबी देवी वहां दर्शन करने के लिए रह गये थे। वहां और भी शादियां हो रही थीं, तभी समय करीब सवा छः बजे शाम बहुत जोर से धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं हो गया, कुछ दिखायी नहीं दे रहा था। इस बम विस्फोट में उसे व अन्य बहुत से लोगों को चोटें आयीं। वह विस्फोट में आयी चोटों के कारण बेहोश हो गया था। उसे पुलिस ने बी.एच.यू. अस्पताल, वाराणसी में दाखिल कराया था। चोटें उसे पेट पर दायीं ओर आयी थीं, जिसके कारण आज भी वह कार्य करने में असक्षम है। बी.ए.यू. अस्पताल में उसका डाक्टरी मुआयना हुआ था। उसकी पत्नी उससे थोडी अलग थी। इस कारण वह बच गयी थी। वह घटना/बम विस्फोट करने वाले को नहीं देख सका। उसे आज भी कोई जानकारी नहीं है कि यह बम विस्फोट किसने किया। वह आज भी बम विस्फोट करने वाले को नहीं पहचानता है।

50. पी.डब्लू.–39 चन्द्र शेखर तिवारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दिनांक 07.03.2006 की है। उस समय वह काशी विश्वविद्यालय में एम.ए. प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था। बम विस्फोट के दिन वह सुरेन्द्र अग्रवाल की शादी में शादी कराने हेतु अपने मित्र शशिभूषण के साथ आमंत्रित था। वह शशिभूषण के साथ संकटमोचन मन्दिर गया था। इस शादी को उसके गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी करा रहे थे। शादी छः बजकर दस मिनट पर समाप्त हो चुकी थी। मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम जारी था व आशीर्वाद का कार्यक्रम जारी था। वह उसी प्रांगण में पान खाने के लिए गया था, कि एकाएक काफी जोर से आवाज हुई। घटना–स्थल पर धुंआ हो गया। धुआं हटने के बाद वह घटना स्थल पर पहुँचा तो देखा कि शादी स्थल के पास काफी लोग घायल पड़े थे तब उसकी जानकारी में आया कि घटना स्थल पर बम विस्फोट हुआ है। वह अन्य लोगों के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे, जैसे ही वह घायलों को लेकर चले तो उसके गुरू प्रभाकर द्विवेदी की मौत मौके पर उसके हाथों में ही हो गयी थी। धमाका होने पर भगदड़ मची थी तथा काफी लोगों के जूते चप्पल घटना स्थल पर छूट गये थे। इस घटना में काफी लोग मारे गये थे व काफी घायल हो गये थे। यह घटना लगभग 6 बजकर 30 मिनट शाम की है। घटना घटने से पहले संदिग्ध व्यक्ति को देखा था। उसकी उम्र लगभग 30–35 वर्ष की रही होगी। वह पेंट शर्ट पहने हुए था। संदिग्ध व्यक्ति चौकन्ना सा लग रहा था। इधर–उधर देख रहा था। गवाह ने हाजर अदालत मुल्जिम वलीउल्ला को देखकर कहा कि घटना से पूर्व संदिग्ध व्यक्ति यह वलीउल्ला नहीं था। उसने पुलिस को सर सुन्दरलाल अस्पताल (BHU) में अपना बयान दिया था।

51. पी.डब्लू.–40 श्री के.एल. वर्मा ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 29.12.2006 को वह गृह मंत्रालय में तैनात था। विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाने हेतु संस्तुति गृह विभाग से दी जाती है, और उस विभाग में उस समय कार्यरत था। सी.सी. नम्बर 28/2006 सरकार बनाम वलीउल्ला धारा 302,307,324,323

भा०द०सं० एवं 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना लंका वाराणसी के मामले में वलीउल्ला के विरूद्ध अभियोग चलाने हेतु पत्रावली एस.एस.पी. वाराणसी के माध्यम से प्राप्त हुयी थी। उक्त पत्रावली पर न्यायविभाग से अनुमति दी थी व पत्रावली भेजी गयी थी तथा अनुमति हेतु पत्रावली पुनः गृह विभाग में प्राप्त हुई थी। राज्यपाल महोदय की आज्ञा से अभियुक्त वलीउल्ला के विरूद्ध वाद चलाने हेतु अनुमति तत्कालीन गृह सचिव श्री आर.एम. श्रीवास्तव द्वारा अपने पत्रांक 115/2/1/2006 दिनांक 29.12.2006 के द्वारा जारी की गयी थी। वह गृह सचिव आर. एम. श्रीवास्तव के साथ रहा है। उनके हस्ताक्षर पहचानता है। आदेश दिनाकं 29.12.2006 उनके द्वारा बोलकर व निर्देशों पर टाईप किया गया था। उक्त आदेश पर हस्ताक्षर उनके सामने किये थे। साक्षी ने आर.एम. श्रीवास्तव के हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा आदेश को प्रदर्श क–34 के रूप में साबित किया।

52. पी.डब्लू.41 क्षेत्राधिकारी डी.पी. शुक्ला ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 10.07.2006 को सी.ओ. भेलूपुर वाराणसी पर तैनात था। उस दिन उसे इस प्रकरण की विवेचना एस.एस.पी. के आदेशानुसार पूर्व विवेचक से स्थानान्तरित होकर मिली थी। उसने पूर्व विवेचक से सी.डी. व सम्बन्धित कागजात प्राप्त किये, गवाहान प्रताप सिंह व ललित बहादुर सिंह के बयान लिए तथा साक्ष्य के आधार पर वलीउल्ला के खिलाफ आरोपपत्र 46 दिनांक 11.07.2006 को प्रस्तुत किया। आरोपपत्र उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–35 के रूपमें साबित किया है। दिनांक 11.07.2006 को उसने अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3/4/5 Ex. P. Act के अंतर्गत वाद चलाने हेतु तत्कालीन डी.एम. वाराणसी को आवेदन दिया था व डी.एम. वाराणसी द्वारा दिनांक 17.07.2006 को पत्रांक 877/JA–III–2006 अनुमति दी गयी थी। आवेदन की कार्बन प्रति जो असल के साथ तैयार की गयी थी, पत्रावली में दाखिल है। जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–36 के रूपमें साबित किया है। डी.एम. साहब द्वारा स्वीकृति दी गयी थी, स्वीकृति आदेश प्रदर्श क–37 हैं। उसने अभियुक्त वलीउल्लाह के विरूद्ध, विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में विवेचना जारी रखी व गवाहान के बयान लिये। दिनांक 18.07.2006 को उसने अभियुक्त वलीउल्ला के विरूद्ध 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का आवेदन दिया जो प्रदर्श क–38 है। अभियुक्त के विरूद्ध शासन से संस्तुति पत्रांक संख्या–115/2/1/2006 प्राप्त हुई जो प्रदर्श क–34 है। उसने ललित बहादुर का बयान लिया था जो उसके सामने सी.डी. में मूल रूप में है जिस पर प्रदर्श क–39 डाला गया। उसने धारा–15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया था जो प्रदर्श क–40 है।

53. पी.डब्लू. 42 उपनिरीक्षक वेंकटेश तिवारी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 10.04.2006 को वह लखनऊ जिला कारागार में गया था जहां पर अभियुक्त वलीउल्ला का अपराध संख्या–28/2006 धारा 3/4/5 विस्फोटक विध्वंस अधिनियम थाना लंका जिला बनारस से सम्बन्धित वारंट बी डिप्टी जेलर को तामील कराया था। दिनांक 27.04.2006 को वह उक्त अपराध संख्या के विवेचक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी सी.ओ. भेलूपुर के

निर्देश पर अभियुक्त वलीउल्ला के शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी करने दारूल उलूम देवबंद जिला सहारनपुर गया था व जानकारी की थी। वहां पर वसीर नाम के तीन व्यक्ति वसीर अहमद, मौ० वसीर व वसीर अहमद मलिक मिले। इन सभी के प्रवेश फार्म उर्दू भाषा में थे जिनकी छाया प्रतियां पत्रावली पर 231/47 लगायत 58 हैं। इसके सम्बन्ध में उसने विवेचक को रिपोर्ट प्रेषित की थी जो प्रदर्श क–41 है।

54. साक्षी पी.डब्लू.–43 डा० आर०पी०गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 25.09.2006 को वह लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय राम नगर जनपद वाराणसी में तैनात थे। उस दिन समय करीब 4.15 पी०एम० पर उसके द्वारा मृतक रितेश उपाध्याय का शव विच्छेदन किया गया था। दौरान इलाज मृतक की मृत्यु दि० 25.03.2006 को समय 11:10 ए.एम. पर हुयी थी–

<u>एंटी मोर्टम इंजरी</u>

1. संक्रमित खुला घाव के साथ बायें पैर में फ्रेक्चर था घाव का आकार 24 X 12 से०मी० था।
2. संक्रमित भरता हुआ घाव स्वस्थ ग्रेनुलेशन टिशू था जिसका आकार 8.5X5 से०मी० था जो पेट के बायें सामने की तरफ था जो मध्य भाग से 3.5 से०मी० बायें था।
3. मल्टीपल टटूइंग बायें बाजू में कंधे से उंगलियों तक था।
4. गर्दन के खोलने पर कन्ट्यूजन फ्रेक्चर डिसलोकेशन के साथ पाया गया जो सर्वाइकल सं० 2 व सर्वाइकल सं० 3 में था।
5. पेट को खोलने के बाद खून मिला हुआ दृव्य व बड़े बड़े खून के थक्के जिनका वजन 1.5 किलो था, मौजूद मिले थे। आंते फटी हुयी थीं, जो 1.5 सेमी व्यास में था।

<u>सामान्य अवलोकन</u>

मुख गुहा में कुछ खून के अंश मिले थे तथा खाने की नली में भी खून के अंश मिले थे। आंतरिक अंग लीवर स्प्लीन पेरिटोनियम किडनी पेनक्रियाज तिल्ली Pale पड़ गये थे। साक्षी की राय में मृत्यु का कारण shock and haemorrhage एवं आंत का फटना तथा गर्दन व पैर की चोटों की वजह से आना संभव थी। उपरोक्त चोटें ब्लास्ट के धमाके से शरीर से टकरायी हुयी विस्फोटक से आना संभव थी। शामिल पी०एम० सं० 392/06 उसके लेख व हस्ताक्षर में है साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क 42 के रूपमें साबित किया है।

55. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–44 डॉ. लाल चन्द यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 08.03.2006 को वह स्कूल हैल्थ डिस्पेंसरी बनारस में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन उसने 3.30A.M. पर मृतक प्रभाकर पुत्र स्व० द्विजराज द्विवेदी का शव विच्छेन किया था।

<u>एंटीमोर्टम इंजरी</u>

1. फटा हुआ घाव, जिसका आकार 18 X10 से०मी० था जो जांघ के निचले हिस्से तक था। जांघ की हडिडया टूटी हुयी थीं और अपनी जगह से हटी हुयी थी। यह चोट एक्सप्लोसिव ब्लास्ट इफेक्ट से आना संभव थी।
2. फटा हुआ घाव दायें पैर में था।

आंतरिक परीक्षण

स्कल्प सामान्य था, मस्तिष्क Pale था। पेरिटोनियन Pale था उसकी राय में मृत्यु का कारण शॉक एड हेमरेज था तथा उक्त चोटें एक्सप्लोसिब ब्लास्ट से आयी थीं। शामिल मिसल पी०एम० रिपोर्ट सं० 299/06 उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–43 के रूपमें साबित किया है। उसी दिन समय 5.30 ए.एम. पर अज्ञात शव का शव विच्छेदन उसके द्वारा किया गया था–

बाहय चोटें–

पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी।

एंटीमोर्टम इंजरी–

1. चेहरे पर टटूइंग मार्क मौजूद थे तथा कार्बन के टुकड़े उसके सिर व चेहरे पर गहरे घंसे हुए थे।
2. एक फटा हुआ घाव था, जो दाहिने सीने के ऊपरी भाग में उपस्थित था। यह उक्त दोनों चोटें ब्लास्ट इफेक्ट से होना संभव है।
3 ब्लास्ट इफेक्ट से बायें पैर में चोट थी।

साक्षी की राय में मृत्यु का कारण शॉक व हेमरेज था और यह इंजरी एक्सप्लोसिव ब्लास्ट से आयी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–44 के रूपमें साबित किया है।

56. साक्षी पी.डब्लू.–45 डॉ. राजेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 07.03.2006 को वह हेरिटेज अस्पताल बनारस में इमरजेंसी मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात था, उस दिन समय करीब 7.30 बजे एंबुलेस से मरीज अंजना, जिसकी उम्र 12 साल थी घायल अवस्था में अस्पताल में आयी थी, जिसकी चोटों का परीक्षण उसके द्वारा किया गया था, जिसके बायें पैर व बायें हाथ में मल्टीपल स्मॉल/ पैनेट्रेंटिंग वुंड मौजूद थे। मरीज को भर्ती किया गया था। शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, साक्षी ने इंजरी रिपोर्ट को प्रदर्श क 45 के रूपमें साबित किया।

उसी दिन 7 पी०एम० घायल निभा विश्वास उम्र 25 साल को थाना भेलपुर की पुलिस द्वारा लाया गया था जिसके निम्न चोटें थी–

सिर के बायें हिस्से में कान व सिर में छोटे छोटे घंसे हुये घाव मौजूद थे तथा पीठ पर भी घाव थे। यह चोटें बम ब्लास्ट से आयी हुयी थीं। शामिल मिसल इजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–46 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन समय 7 पी.एम. पर घायल अरूण सिंह उम्र 17 साल थाना सुहबाल की

पुलिस द्वारा लाया गया था, जो सिर पर चोट होने की वजह से बेहोश था। उक्त इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क –47 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन 6.30 पी०एम० घायल डा० प्रमोद कुमार उम्र 49 साल का परीक्षण भी उसके द्वारा किया गया था जिनके बम ब्लास्ट की चोटें सीधे हाथ की कलाई पर फटी हुयी चोटें थी शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–48 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन समय 6.30 पी०एम० घायल शिव कुमार उम्र 20 साल को घायल अवस्था में लाया गया था जिसके चोट बायें हाथ के बाजू पर थी जो 5 से.मी. की गहराई तक कटा हुआ था। चोट बम ब्लास्ट की थी शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–49 के रूपमें साबित किया गया है।

उसी दिन घायल कल्पनाथ पांडे उम्र 80 साल को घायल अवस्था में लाया गया जिनके शरीर पर कई जगह फटे हुये घाव नितम्ब पर पीछे थे। यह चोटें बम ब्लास्ट से आयी हुयी चोटें थीं शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–50 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन 6.30 पी.एम. पर घायल उषा देवी उम्र 25 साल की चोटों का परीक्षण किया था जिसके बम ब्लास्ट की चोट बायें पैर के उपरी व निचले हिस्से में थी शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क 51 के रूपमें साबित किया गया है।

उसी दिन 6.30 पी.एम. पर घायल रवि कुमार सिंह, उम्र 17 साल की चोटों का परीक्षण किया था जिसके दोनों पैरों की जांघ में गहरी फटी हुयी चोट थी तथा बायें हाथ की कोहनी की हड्डी अपनी जगह से हट गयी थी। यह चोटें बम ब्लास्ट से आयी चोटें थी शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श के–52 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन 6:30 पी.एम. पर घायल विमलेश त्रिपाठी उम्र 22 साल की चोटों का भी किया था जिसकी चोट सं० 1 सीधे पैर में 10 से 12 सेमी फटा घाव था। चोट संख्या–2 सीधे हाथ की अंगुलियां फटी हुई थीं। चोट संख्या–3 सीधे हाथ की कोहनी में फटा हुआ घाव मौजूद था, उक्त तीनों चोटें बम ब्लास्ट से आयी थीं। शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उनके लेख व हस्ताक्षर में है तथा जिसे साक्षी ने प्रदर्श क– 53 के रूपमें साबित किया है।

57. साक्षी पी.डब्लू.–46 डा. देवेन्द्र प्रताप सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि वे दि० 07.03.2006 को सर सुंदर लाल अस्पताल वी.एच.यू. वाराणसी में इमरजेंसी विभाग में सी०एम०ओ० के पद पर तैनात था। उस दिन समय 10.15 पी.एम. पर घायल कलावती उम्र 45 साल को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था जिसके फटा हुआ घाव चेहरे पर सीधे जबड़े के उपर था। आकार 4 X3 से.मी. था जो ताजा था घाव ब्लास्ट इंजरी का था शामिल मिसल परीक्षण रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क– 54 के रूपमें साबित किया गया है।

उसी दिन समय 10.25 पी.एम. पर घायल श्याम सुंदरी देवी उम्र 65 साल को को घायल अवस्था में लाया गया था जिसके दो ब्लास्ट इंजरी थी–

1 फटा हुआ घाव बायें हाथ पर था जो कि 3X 2 से.मी. के आकार का था।

2. ब्लास्ट इंजरी फटा हुआ घाव 10 X8 सेमी. दायें पैर पर था। शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क– 55 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन 10.30 पी.एम. पर घायल कविता उम्र 10 साल को घायल अवस्था में लाया जिसके दो ब्लास्ट ताजा इंजरी थी–

1. फटा हुआ घाव 5X3.5 से.मी. सीधे पैर के पंजे पर था।

2. फटा हुआ घाव 4X 2 सेमीं. दाहिने बाजू पर था। शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–56 के रूपमें साबित किया है।

दि० 08.03.2006 की मध्यरात्रि 1.15 ए.एम. पर घायल विजय केजरीवाल घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था जिसके बायें कान पर फटा हुआ ब्लास्ट इंजरी का ताता था जिसका आकार 4 X1 सेमी० का था। शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–57 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन 1.30 ए.एम. पर घायल कौशल किशोर चौधरी को घायल अवस्था में लाया गया था जिसके फटा हुआ घाव सीधे हाथ की बाजू पर 1X 0.5 से.मी. मौजूद था, जो ब्लास्ट से आया था। शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–58 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन 1.40 ए.एम. पर उसके द्वारा घायल गौरव भारद्वाज उम्र 20 साल की चोटों का परीक्षण किया गया था जिसके सिर पर कटा हुआ घाव ताजा था जिसमें रक्तस्त्राव हो रहा था जिसका आकार 2x2 से.मी. था जो बम ब्लास्ट का था बम ब्लास्ट की दूसरी चोट गर्दन में बायी ओर छोटे छोटे कई पंक्चर वुंड ताजा मौजूद थे। शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क– 59 रूपमें साबित किया गया है।

उसी दिन समय 1.50 ए.एम. पर घायल गोविंद रुंगटा उम्र 32 साल की बम ब्लास्ट में आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण किया गया जिसमें बायें पैर के उपर चिरा हुआ घाव 2 X1 से०मी० मौजूद था ताजा था तथा खून बह रहा था। दूसरा फटा हुआ घाव सीधे पैर पर 1 X1 सेमी० मौजूद था शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–60 के रूपमें साबित किया गया है।

उसी दिन समय 1.55 ए.एम. पर घायल श्रीमती रीता सिंह को बम ब्लास्ट में आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जिनके सीधे कान पर कटी हुई चोट 0.5 X0.5 से.मी. थी तथा सीधे हाथ की बाजू पर फटा हुआ घाव व सीधे हाथ पर फटा हुआ घाव 1X1 सेमी. मौजूद था। शामिल मिसल इंजरी उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–61 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन 1.55 पर घायल उज्जवल राय उम्र 30 साल को बम ब्लास्ट में आयी चोटों का परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जिनके माथे पर कटी हुयी चोट 1 X0.5 सेमी. के आकार की थी। दूसरी घोट गर्दन के बायीं ओर फटी हुयी एवं जली हुयी 2 X 1 आकार की थी ताजा थी तथा खून बह रहा था। शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे

साक्षी ने प्रदर्श क– 62 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन 2 ए.एम. पर घायल सुरेन्द्र अग्रवाल उम्र 48 साल को बम ब्लास्ट में तीन चोटे आयीं थीं जिनका विवरण उसके द्वारा तैयार की गयी शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट में है जो कि उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क 63 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन 2 ए०एम० पर घायल विजय अग्रवाल उम्र 49 साल की चोटों का उसके द्वारा परीक्षण किया गया था जिसके दो ब्लास्ट इंजरी पेट व जांघ पर मौजूद थी जिनसे खून बह रहा था, इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क– 64 के रूपमें साबित किया।

उसी दिन 02.05 ए.एम. पर घायल मंजु अग्रवाल उम्र 40 साल को ब्लास्ट में आयी इंजरी की चोटों का परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जिनके तीन चोटें मौजूद थीं। इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–65 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन घायल विजय कुमार उम्र 30 साल को आयी ब्लास्ट इंजरी का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था शामिल मिशल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–66 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन राज बिहारी दूबे उम्र 26 साल को आयी बम ब्लास्ट की चोटों का परीक्षण उसके द्वारा किया गया था शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क– 67 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन समय 3.10 ए०एम० पर घायल संतोष साहनी उम्र 28 साल को आयी बम ब्लास्ट की चोटों का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था, जिनके गंभीर चोट थीं। फटा हुआ घाव 30 X 20 से०मी० दाहिने पैर पर मौजूद था। शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क– 68 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन मध्य रात्रि में ही पायल अंजनि केडिया उम्र 26 साल को बम ब्लास्ट में आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया। चोटों का विवरण शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट में वर्णित है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–69 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन मध्य रात्रि में घायल राजेश कुमार उपाध्याय उम्र 18 साल की बम ब्लास्ट में आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था। चोटों का विवरण शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट में वर्णित है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–70 के रूपमें साबित किया गया है।

दि० 08.03.2006 की मध्य रात्रि में घायल रेनू अग्रवाल उम्र 40 साल को ब्लास्ट में आयीं चोट का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया जिनका वर्णन इंजरी रिपोर्ट में उसके द्वारा वर्णित है उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–71 के रूपमें साबित किया गया है।

उसी समय घायल सरस्वती देवी उम्र 40 साल को आयी बम ब्लास्ट की चोटों का परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जो शामिल मिसल इंजरी रिपोर्ट में वर्णित है उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क– 72 के रूपमें साबित किया है।

दि० 07.03.2006 समय 10 पी.एम. पर घायल आशीष सोनकर उम्र 10 साल को बम ब्लास्ट में आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया। चोटों का विवरण इंजरी रिपोर्ट में अंकित है। शामिल, मिसल इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–73 के रूपमें साबित किया गया है।

दि० 08.03.2006 की मध्यरात्रि में घायल सीमा देवी उम्र 25 साल को बम ब्लास्ट में आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था चोटों का विवरण इंजरी रिपोर्ट में वर्णित है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–74 के रूपमें साबित किया गया है।

दिनांक 08.03.2006 को समय 1.40 पी.एम. पर घायल संगीता उम्र 18 साल को बम ब्लास्ट में आयी चोटों का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जिनका विवरण इंजरी रिपोर्ट में अंकित है, इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–75 के रूपमें साबित किया है।

उसी दिन उसी समय घायल हेमंत कुमार उम्र 23 साल को बम ब्लास्ट में आयी दो चोटों का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जिनका विवरण इंजरी रिपोर्ट में अंकित है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–76 के रूपमें साबित किया गया है।

उसी दिन समय 1.10 ए.एम. पर घायल सुनील कुमार उम्र 17 साल को बम ब्लास्ट में आयी तीन चोटों का मेडिकल परीक्षण उसके द्वारा किया गया था जो इंजरी रिपोर्ट में अंकित है। इंजरी रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–77 के रूपमें साबित किया है।

58. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–47 निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उनके द्वारा मृतक मनोहर लाल भालोटिया के पंचनामा, चालान लाश, फोटो नाश, चिटठी सी.एम.ओ. को देखकर कहा है कि उक्त कागजात उसने मौके पर ही तैयार किये थे जो उसके लेख व हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रपत्रों को प्रदर्श क–78 लगायत प्रदर्श क–81 के रूपमें साबित किया है।

59. अभियुक्त वलीउल्ला का बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दिनांक 24.09.2012 को अंकित किया गया जिसमें उसने अपराध से इंकार करते हुये कथन किया है कि उसे गौसाइ गंज से गिरफ्तार नहीं किया गया तथा न ही दि० 05.06.2006 गिरफ्तार किया गया। उसकी फर्जी व अवैध गिरफ्तारी दिखायी है। उसे दि० 26.03.2006 को घर से फूलपुर गेस्ट हाउस में बुलाकर फर्जी व अवैध गिरफ्तारी दिखायी है। इस गिरफ्तारी के विरोध में रेल रोको आंदोलन चलाया था और प्रदर्शन किया था। रिट दाखिल की थी इसलिये उसके खिलाफ झूंठा मुकदमा बनाया गया। प्रशासन के दबाव में उसे झूंठा फंसा दिया। अभियुक्त का दिनांक 02.08.2017 को अतिरिक्त बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किया गया।

60. अभियुक्त की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची–194 ख से कागज सं० 195 ख ता 199 ख तथा सूची 206 ख से कागजात 207 ख ता 221 ख सूची 294 ख से कागज संख्या

295 ख कागज संख्या 300 ख तथा कुछ अन्य प्रपत्र दाखिल किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में डी०डब्लू०–1 चिकरूल्लाह, डी०डब्लू०– 2 हुमैरा खातून व डी०डब्लू०– 3 उबेदुल्लाह को परीक्षित कराया गया।

61. विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश आगरा की परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर दाखिल है जिसके अनुसार पृथक–पृथक विश्लेषण द्वारा उच्च विस्फोटक एवं विस्फोटक के विच्छेदित अवयव अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा एल्यूमीनियम पाये गये।

62. डी०डब्लू० 1 चिकरूल्लाह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वलीउल्ला उसका भाई है जो उसके साथ एक ही घर में रहते हैं। 26.03.2006 को 11 बजे के करीब दो लोग उनके घर आये और अपने आपको एल०आई०यू० का होना बताया। यह कहा था कि मदरसे के सिलसिले में वली उल्लाह से मिलना है। उसने वली उल्लाह को बुलाकर उनसे मुलाकात करवाई। मुलाकात के बाद उन लोगों ने कहा कि उनकी बातचीत पूरी हो गयी है लेकिन उन्हें और मदरसों को भी देखना है और अधिकारियों को भी मिलना है इसलिये या तो चार साढे चार बजे एल०आई०यू० दफ्तर इलाहाबाद आ जाइयें या तीन साढ़े तीन किलोमीटर दूरी पर स्थित इफको के गैस्ट हाउस में आ जाइये। एल०आई०यू० वालों ने अपने किसी अधिकारी से फोन पर बात की तथा बताया कि वे जौनपुर की तरफ से वापस आ रहे हैं और इफको गैस्ट हाउस में ही चार साढ़े चार बजे मुलाकात हो जायेगी। चार साढे चार बजे वे लोग वापस आये और वली उल्लाह को साथ में ले गये। वली उल्लाह से बातचीत के वक्त वह मौजूद था। उसके बाद वली उल्लाह वापस नहीं आया। तब उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई उबेदुल्लाह, जो इफको के पास रहते हैं, को फोन किया और सारी बातें बतायी। उनसे इफको गैस्ट हाउस जाकर देखने को कहा। उबेदुल्लाह ने अपने किसी आदमी को भेजकर इफको दिखवाया और बाद में उन्हें बताया कि वली उल्लाह वहां नहीं है। इसके बाद उनके यहां लोगबाग वली उल्लाह के बारे में पूछने आने लगे और इकटठा होने लगे जिससे आक्रोश उत्पन्न हो गया। उन लोगों ने सड़क व रेलवे क्रासिंग दोनों पर जाम लगा दिया। कस्बे के अधिकारियों के आने व समझाने बुझाने पर जाम खुल गया। उसी दिन उबेदुल्लाह ने आकर उनके वालिद की तरफ से थाने पर एक तहरीर गुमशुदगी की बाबत दी। दूसरे दिन उबेदुल्लाह की तरफ से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद व आई०जी० इलाहाबाद को तार भेजा था। 29 तारीख को वली उल्लाह की पत्नी हुमैरा खातून की तरफ से हाई कोर्ट में हेबियस कोर्पस की रिट दाखिल की गयी। इन वजहों से पुलिस ने दबाव में वलीउल्लाह की गिरफ्तारी गौसाई गंज से झूंठी दिखायी है। पुलिस ने वली उल्लाह के खिलाफ झूंठा मुकदमा कायम किया है और उपरोक्त कारणों की वजह से उसे झूंठा फंसा दिया है।

63. डी०डब्लू० 2 श्रीमती हुमैरा खातून ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दि० 26.03.2006 को उसके घर पर दो आदमी आये थे जो अपने आपको एल०आई०यू० का होना बता रहे थे। वे लोग शाम करीब 4 बजे उसके पति वली उल्लाह मुल्जिम हाजिर अदालत को अपने साथ लेकर गये थे उसके बाद उसके पति वापस घर लौट कर नहीं आये। दि०

29.03.2006 को उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैबियस कोर्पस की रिट दाखिल की थी। इसकी कापी एस०टी० सं० 1787/2006 सरकार बनाम वली उल्लाह में दााखिल की है जो इस पत्रावली में दाखिल है। दिनांक 05.04.06 को पुलिस ने उसके पति की थाना गौसाई गंज लखनऊ से झूंठी गिरफ्तारी दिखाकर जवाब दाखिल कर दिया जिसकी वजह से रिट खारिज हो गयी। उसके जेठ व ससुर ने भी उच्चाधिकारियों को कार्यवाही के लिये प्रार्थना पत्र भेजे थे। पुलिस ने उसके पति को इस अदालत में चल रहे मुकदमों में झूठा फंसा दिया है।

64. डी०डब्लू०–3 उबेदुल्लाह ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि हाजिर अदालत वली उल्लाह उसका छोटा भाई है। दि० 26.03.2006 को शाम के करीब 5 बजे उसके पास उसके बड़े भाई जिकरूल्लाह का फोन आया कि वली उल्लाह को दो व्यक्ति अपने साथ ले गये हैं जो खुद को एल०आई०यू० वाले बताकर इफको गैस्ट हाउस ले गये हैं। इसलिये यह मालूम करो कि क्या वाकई में वे लोग वहां पर हैं या नहीं। तब उसने अपने वर्कर शाहिद जमाल को इफको गैस्ट हाउस भेजा उसने लौटकर बताया कि वहां पर कोई नहीं है। इसके बाद वह मोटरसाइकिल से अपने भाई के घर गया। इसके पहले उसने जिकरूल्लाह को उसे शाहिद जमाल द्वारा बतायी गयी बात बता दी। वहां पर कुछ लोग इकटठा थे उनमें से किसी आदमी से गुमशुदगी की तहरीर मेरे वालिद की तरफ से दिलायी गयी जिसे लेकर उसके वालिद, वह तथा अन्य लोग थाना फूलपुर गये । पुलिस दरख्वास्त नहीं ले रही थी उस दौरान कस्बे वालों ने चक्का जाम कर दिया। ट्रेनें भी रोकी गयीं, करीब चार घंटे जाम चलता रहा। तब उच्चाधिकारियों ने आकर कहा कि अगले दिन वली उल्लाह को छोड़ दिया जायेगा और तहरीर को जी०डी० में दर्ज कर के उन्हें रसीद दी तब जाम खुला। उस जी०डी० की कापी एस०टी० सं० 1787/2006 में दाखिल की है। अगले दिन इलाहाबाद जाकर उन्होंने चीफ जस्टिस इलाहाबाद व आई०जी० को इस बाबत तार भी भेजा था जिसकी नकल भी एस०टी० 1787 में दाखिल की है। 29 तारीख को वली उल्लाह की पत्नी की तरफ से हैबियस कोर्पस की रिट दाखिल करायी। इस बीच फूलपुर में बाजार बंद रहा और विरोध प्रदर्शन होते रहे अखबार में समाचार निकला जिसकी नकलें दाखिल कीं हैं। चार तारीख को हम लोगों द्वारा कलक्ट्रेट में वली उल्लाह को छोड़ने के लिये प्रदर्शन किया गया तब पांच तारीख को वली उल्लाह की गौसाई गंज से झूंठी गिरफ्तारी दिखा दी। वली उल्लाह के खिलाफ झूंठे मुकदमें दर्ज किये हैं। सारे कागजात की फोटो कापी प्रमाणित नकलें एस०टी० 1787 में दाखिल की हैं। जिस मुकदमे में सजा हुई है वह सजा अवैधानिक विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनियम के अंतर्गत हुई है, कोई बरामदगी वली उल्लाह से नहीं हुयी है।

65. मेरे द्वारा अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आरिफ अली खान तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री राजेश चंद शर्मा एवं उनके सहयोगी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री अनिल कुमार शर्मा के तर्कों को विस्तृत रूपसे सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य एवं अन्य प्रपत्रों का सूक्ष्मता से सम्यक परिशीलन किया गया।

66. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त भी भारत का शांतिप्रिय नागरिक है। अभियुक्त, अभियोजन की ओर से लगाये गये आरोपों का विरोधी रहा है। अभियुक्त उपरोक्त प्रकृति के अपराध कारित करने के विषय में सोच नहीं सकता है। उक्त केस में उसे फंसाये जाने के कारण वह स्वयं पीड़ित है। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि विवेचक द्वारा कुछ साक्षीगण के बयान काफी विलम्ब से दर्ज किये गये हैं, जिस कारण साक्षीगण के बयान विश्वसनीय नहीं है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त की किसी साक्षी से शिनाख्त नहीं करायी गयी है और शिनाख्त न कराये जाने के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा ही उक्त अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को किसी साक्षी द्वारा घटना कारित करते हुए नहीं देखा गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दिनांक 05.04.2006 को गिरफ्तार करना बताया गया है जबकि अभियुक्त को दिनांक 26.03.2006 को उसके घर से पूछताछ के बहाने ले जाया गया दिनांक 26.03.2006 से दिनांक 05.04.2006 तक उसे अवैधानिक रूपसे हिरासत में रखा गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के पिता द्वारा दिनांक 26.03.2006 को उसके गुम होने के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर शिकायत दी गयी है। यह भी तर्क दिया गया है कि हैबियस कार्पस रिट अभियुक्त की ओर से उसकी पत्नी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अभियुक्त को अवैधानिक रूपसे निरूद्ध रखने के सम्बन्ध में दाखिल की गयी। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त मामले में काफी गवाह पक्षद्रोही हो चुके हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। निवेदन किया गया है कि अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाओं दाखिल की गयी हैं कि–

1. Harjinder Singh@ Bhola Vs. State of Punjab (2004) 11 SCC 253
2. Kehar Singh and Others Vs. State (Delhi Administration) 1998(3) SCC 609
3. Jagjit Singh Vs. State of Punjab AIR 2005 SC 913
4. Ganesh Bhavan Patel and another Vs. State of Maharashtra (1978)4 SCC 371.
5. U.O.I. Vs. M/s chaturbhai M. Patel & Co 1976(1) SCC 747
6. Mausam Singh Roy & Ors. Vs. West Bengal (2003) 12 SCC 377
7. Kanan & Ors, Vs. State of Kerela 1979 SCC (Crl) 621

8. Prakash Vs. State of Karnataka (2014) 12 SCC 133
9. Jaspal Singh @ Pali Vs. State of Punjab (1997)1 SCC 510
10. State of Maharashtra Vs. Sukhdev Singh and another (1992) 3 SCC 709
11. Sarwan Singh Vs. State of Punjab (2003) 1 SCC 240
12. Adambhi Sulemanbhai Ajmiri & Others Vs. State of Gujrat (2014) 7 SCC 716
13. State of Rajasthan Vs. Mohinuddin Jamal alvi & Ors (2016)12 SCC 608
14. Jaswant Singh Vs. State of Punjab 1958 SCR 762
15. Mond. Mahboob Ali @ Sheru Vs. State of U.P. 2018 SCC online All 108.

67. उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त/आतंकवादियों द्वारा एक सोची व समझी योजना व साजिश के तहत बम विस्फोट की वीभत्स घटना कारित की गयी है जिसमें काफी अधिक संख्या में जनहानि अर्थात काफी संख्या में लोगों जिनमें पुरूष, महिलाएं एवं बच्चे थे, की मृत्यु हुई है तथा काफी लोग गम्भीर रूपसे घायल हुए हैं। अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा घटना कारित करने से पूर्व ऐसे दिन, समय व स्थान का चयन किया गया, जहां काफी अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो और घटना में काफी जनहानि हो सके, इसीलिए अभियुक्त द्वारा संकट मोचन मन्दिर परिसर वाराणसी को चुना गया, क्योंकि घटना के दिन उक्त मंदिर में शादियों के कारण तथा दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु काफी भीड़ जमा थी। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त मामले में अभियुक्त की शिनाख्त परेड कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है, जिन व्यक्तियों ने अभियुक्त को घटना से पूर्व देखा था उनके द्वारा उसकी पहचान टी.वी. व अखबारों के माध्यम से की गयी है। यदि अभियुक्त की शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है तो साक्षी के विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज नहीं किया सकता है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि यदि कुछ गवाह पक्षद्रोही हो गये है, तो इससे समस्त साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि जिन प्रश्नों को अभियुक्त की ओर से साक्षी से जिरह/प्रतिपरीक्षा के समय नहीं पूछा गया उन प्रश्नों को बाद में नहीं उठाया जा सकता है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि आतंकवाद से सम्बन्धित घटनाओं में प्रायः स्वतंत्र साक्षी साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आते हैं, यदि ऐसे मामलों में स्वतंत्र साक्षी नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी का यह भी तर्क है कि उक्त मामले में पुलिस का साक्ष्य भी विश्वसनीय साक्ष्य है क्योंकि ऐसे मामलों में प्रायः स्वतंत्र साक्षी मिलना बहुत कठित होता है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त को एक अन्य मामले में

दोषसिद्ध किया जा चुका है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी का यह भी तर्क है अभियुक्त की पत्नी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष हैबियस कार्पस रिट दाखिल की गयी थी जिसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा खारिज कर दिया गया है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पत्रावली पर अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाएं दाखिल की गयी हैं–

1. 2014 CRL. L.J. 1830 SUPREME COURT Ashok Debbarama alias Achak Debbarama Vs. State of Tripura, Criminal Appeals N0 47–48 of 2013 Decided 04.03.2014
2. 2010 (71) ACC 355 SUPREME COURT Narinder Kumar Vs. State of Jammu& Kashmir, Crl. Appeal N0 2093 of 2008
3. 2005(51)ACC941 SUPREME COURT State of U.P. Vs. Satish, Criminal Appeals No 256–257 of 2005 Decided Februry 8, 2005
4. (2014) 13 SUPREME COURT CASES 90 PAULMELI AND ANOTHER Vs. STATE OF TAMIL NADU, Crriminal Appeal No 1636 of 2011 Decided May 23, 2014
5. 2014(85)ACC 970 SUPREME COURT PERIYASAMI Vs. STATE, Cr. Appeal N0 1272 of 20212 With Cr. A No 787 of 2013Decided April 11, 2014
6. 2014(84) ACC 329 SUPREME COURT MADHU@ MADHURANATHA AND ANOTHER Vs. STATE OF KARNATAKA Crl Appeal No 1357–1358 of 2011 Decided November 28, 2013

68. प्रस्तुत मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का नहीं है बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और वर्तमान मामले में यह देखना है कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कड़िया एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा नहीं?

69. साक्षी पी.डब्लू.–1 उपनिरीक्षक समरजीत सिंह उक्त मामले का वादी है और उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि वह दि० 07.03.2006 को थाना लंका वाराणसी में थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। उस दिन दि० 07.03.2006 को वे कां० शमीम, कां० दिलीप व कां० अजय कुमार राय व चालक अमिताभ राय के साथ शांति व्यवस्था डयूटी में संकटमोचन तिराहे पर समय करीब 18.15 बजे तैनात थे, तभी संकटमोचन मंदिर की तरफ तेज धमाकेदार आवाज सुनाई पड़ी, जिस पर वे फोर्स को लेकर मंदिर की तरफ दौड़ते हुये गये तो देखा कि लोग भागते गिरते पड़ते भाग रहे थे। दुकानें धडाधड़ बंद हो रही थीं। मंदिर परिसर में अफरा–तफरी का माहौल

था और लोगों के चीत्कारने कराहने की आवाजें आ रही थीं, बहुत से लोग घायल अवस्था में वहां गिरे पड़े थे और कुछ संभवतः मृत अवस्था में पड़े हुये थे। वहां जूते, चप्पल और लोगों के सामान इत्यादि बिखरे पडे थे। उन्होंने उसी समय जरिये मोबाइल थाना लंका, आस पास के थानों व कंट्रोल रूम को सूचना दी और फोर्स भेजने के लिये कहा और बी०एच०यू० इमरजेंसी व अन्य अस्पतालों को अलर्ट करने के लिये कहा। उन्होंने वहां तत्काल जो भी घायल लोग पडे थे उन्हें उपस्थित अन्य लोगों के सहयोग से जो भी साधन मिलते गये उससे बी.एच.यू. इमर्जेंसी व नजदीक के अन्य अस्पतालों में भेजा गया। इसी बीच जरिये आर०टी० सैट व अन्य माध्यमों से उसे यह सूचना मिली कि अभी अभी एक ऐसा ही विस्फोट कैंट रेलवे वाराणसी पर भी हुआ है। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि उनके द्वारा तहरीर रिपोर्ट लिखकर थाना लंका पर दी थी। साक्षी ने तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है।

साक्षी से अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी तो साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखवाने की वजह यह थी कि वह अस्पताल में व्यस्त हो गये।

इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि कथित घटना स्थल पर घटना घटित हुई जिसकी तहरीर साक्षी द्वारा लिखाई गयी है।

70. साक्षी पी.डब्लू.–2 राम अवध यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में सश्पथ बयान दिया है कि 2001 तक वह कांस्टेबिल था। उसी वर्ष हैड कांस्टेबिल तैनात हो गया। सन 2001 में वह एस०पी० सिटी ऑफिस इलाहाबाद में कार्यरत था। सन 2001 में थाना फूलपुर इलाहाबाद में अभियुक्त हाजिर अदालत वलीउल्ला व उसके भाई गिरफ्तार किये गये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि इस मुकदमें के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा इनको कचहरी में पेश किया गया था। उसने वलीउल्ला को पेश होते समय देखा व पहचाना था, जो हाजिर अदालत है। उसके बाद उसका स्थानान्तरण एस०पी० सिटी कार्यालय वाराणसी में हुआ था। दि० 04.03.2006 को प्रातः 10 बजे वह कैंट रेलवे स्टेशन से कचहरी वाराणसी जा रहा था तो उसने रोडवेज बस स्टैंड की तरफ से पैट्रोल पंप के पास वलीउल्ला व तीन अन्य लोगों को आते देखा था। उसने सोचा कि ये किसी रिश्तेदारी या किसी सम्मेलन में आये होगें। संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट की घटना दि० 07.03.2006 को हुई थी तो उसने यह संभावना व्यक्त की, कि इस घटना में इनका हाथ हो सकता है।

71. साक्षी पी.डब्लू.–2 राम अवध यादव से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि दिनांक 04.03.2006 को जब उसने देखा तो वलीउल्ला सफेद रंग का कुर्ता पाजामा पहने था। दिनांक 04.03.2006 को देखने की बात किसी अधिकारी को नहीं बतायी थी। इसकी कोई खास वजह नहीं है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि वलीउल्ला से उसकी दोस्ती या दुश्मनी नहीं थी। घटना से पहले जितनी बार वलीउल्ला को देखा उतनी ही बार उसके भाईयों को देखा। साक्षी ने यह भी कहा है कि वलीउल्ला के साथ अन्य तीन लोग 25–30 साल के थे। शक्ल सूरत से कैसे लग रहे थे इतना ध्यान नहीं। गिरफ्तारी के

बाद वलीउल्ला की फोटो बनारस के अखबारों में छपी थी। गिरफ्तारी के बाद इनको वाराणसी लाया गया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 04.03.2006 को उसने वलीउल्ला को नहीं देखा था।

साक्षी की साक्ष्य के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्षी द्वारा अभियुक्त वलीउल्ला व तीन अन्य लोगों को दिनांक 04.03.2006 को घटना स्थल के आसपास देखा गया था।

72. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–3 सीताराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की समय 4–4.30 बजे की थी, वह अपनी दुकान से अगस्त कुंडा गया था तो उसने देखा कि चार आदमी खडे थे, एक आदमी बैग लेकर अलग खड़ा था। अन्य तीन आदमी भी एक दूसरा बैग लेकर खड़े थे, तीन आदमी आगे बढ़े तो चौथे आदमी ने सड़क पर बैग रख कर उनके पीछे चल दिया था। यह आदमी पैदल गया। दो आदमी एक रिक्शे पर बैठ गये और एक आदमी अलग रिक्शे पर बैठ गया। इन तीनों आदमियों में से एक के दाढ़ी थी। यह लोग गौदलिया चौराहे से लंका की ओर गये। उसी दिन शाम को संकट मोचन मंदिर पर बम ब्लास्ट हो गया। एक महीने बाद उसने टी.वी. में देखा तो पहचाना कि दाढ़ी वाले आदमी का फोटो है। अखबारों में निकला तो उसने नाम हबीबुल्लाह पढा था। हाजिर अदालत मुल्जिम को देखकर कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसको उसने टी.वी. में देखा था।

अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर पुनः मुख्य परीक्षा की गयी। साक्षी ने अपनी पुनः मुख्य परीक्षा में कहा है कि जब उसने चारों आदमियों को देखा तब उनमें से एक आदमी मुल्जिम हाजिर अदालत था। सड़क के किनारे ये लोग बैग रखकर गये थे। उस बैग में बम निकला था।

साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि आज व कल से पहले उसने कभी भी मुल्जिमान को नहीं देखा था, फिर कहा कि मुल्जिम को तीन महीना पहले देखा था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने सी.ओ. साहब को बयान दिया था। यह भी कहा है कि बैग रखने के एक महीना बाद टी.वी. व अखबार में उसने देखा था। टी.वी. अखबार में देखने के बाद ही पुलिस ने उसका बयान तीन साढ़े तीन महीना बाद लिया था। चार साढ़े चार बजे शाम को उसने सुना था कि संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट हो गया। यह कहना गलत है कि उसने बैंग रखते किसी को नहीं देखा था, दो– तीन आदमी थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिम हाजिर अदालत को मौके पर न देखा हो।

साक्षी की साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्षी द्वारा दि० 07.03.2006 को अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त व उसके साथियों को बैंग रखते हुए देखे जाने का कथन स्पष्ट रूपसे किया है।

73. साक्षी पी.डब्लू.–4 मोहन साव ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उसकी कपड़े की दुकान दशाश्वमेघ रोड़ पर है। यह घटना दि० 07.03.2006 के दिन के साढ़े चार बजे की है। उसने देखा कि चार आदमी आ रहे थे, दो आदमी के हाथ में दो बैग थे। ये लोग उसकी दुकान के सामने आये जो हड़बडाये हुये थे। एक आदमी सड़क के किनारे रेलिंग के पास रूक

गया, एक बैग उसके हाथ में था उसने इस बैग को जमींन पर रख दिया, बाकी तीन आगे बढ़े। आगे बढ़कर दो रिक्शा किये, जिसमें एक दाढ़ी वाला था उसके हाथ में बैग था वह रिक्शे पर बैठ गया। दो व्यक्ति अलग दूसरे रिक्शे पर बैठे। ये लोग लंका की तरफ मुड़ गये। बैग रखने वाला थोडी देर खड़ा रहा, फिर वह पैदल लंका की ओर चला गया। डेढ़ घंटे बाद उसने सुना कि संकटमोचन में बम विस्फोट हुआ। एक महीना बाद टी.वी. में व न्यूज पेपर में पढ़ा एवं फोटो भी देखी। दाढ़ी वाले आदमी का नाम वलीउल्ला था उसे पहचाना। यह आदमी उन चार आदमियों में शामिल था जो बैग रखे थे। मुल्जिम हाजिर अदालत वली उल्ला उन चार आदमियों में था। जो बैग खोला गया वह उसके सामने पुलिस वालों एवं बम डिस्पोजल वालों के सामने खोला गया। उसमें बम निकला।

साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह सीताराम को जानता है इनकी पान की दुकान, उसकी दुकान से सौ गज के फासले पर है। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कहा है कि बैग उसकी दुकान से 15 फिट पर रखा गया था।

साक्षी की मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा से घटना होना साबित है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि एक महीना बाद टी.वी. में व न्यूजपेपर में पढा एवं फोटों भी देखी। दाढ़ी वाले आदमी का नाम वलीउल्ला था उसे पहचाना। यह आदमी उन चार आदमियों में शामिल था जो बैग रखे थे। मुल्जिम हाजिर अदालत वलीउल्ला उन चार आदमियों में था।

74. साक्षी पी.डब्लू.–5 तारकेश्वर नाथ ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वाराणसी में बम ब्लास्ट की घटना दि० 07.03.2006 को हुई थी। यह बम ब्लास्ट संकटमोचन मंदिर तथा कैंट रेलवे स्टेशन पर हुआ और तीसरे स्थान जम्मू फाटक के पास विस्फोटकों की बरामदगी हुयी थी। विस्फोट की घटनायें शाम 6.00 बजे से लेकर साढे सात बजे शाम के बीच हुई थी। चार मार्च 2006 को जब वह अपने घर से कैंट रेलवे स्टेशन के पास से होता हुआ कचहरी जा रहा था और सुबह दस साढ़े दस बजे का समय था तो उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला शख्स दो तीन व्यक्तियों के साथ स्टेशन की तरफ से आ रहा था। साक्षी ने हाजिर अदालत मुल्जिम को देखकर कहा कि वह दाढ़ी वाला आदमी इसी की तरह का रहा होगा। करीब एक महीने बाद इस शख्स को कोर्ट में पेशी के लिये जाते हुये देखा, टी.वी. व अखबार के माध्यम से भी देखा। जो व्यक्ति उसने चार तारीख को कैंट रेलवे स्टेशन के पास देखा उसको अखबार व टेलीविजन के माध्यम से घटना के एक माह बाद देखा था, वह उसी तरह का लग रहा था।

साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी से प्रश्न पूछा गया कि इस बारे में आप कन्फर्म नहीं है कि मुल्जिम हाजिर अदालत वहीं व्यक्ति है जिसे आपने 04.03.2006 को स्टेशन पर देखा तो साक्षी ने कहा कि "क्योंकि समय ज्यादा हो गया, इस कारण मैं कन्फर्म नहीं हूं।"

साक्षी की मुख्य परीक्षा के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्षी ने 04.03.2006 को जब वह अपने घर से कैंट रेलवे स्टेशन के पास से होता हुआ कचहरी जा रहा था और सुबह दस साढे दस बजे का समय था तो उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला शख्स दो तीन व्यक्तियों के साथ स्टेशन की तरफ से आ रहा था। साक्षी ने हाजिर अदालत मुल्जिम को देखकर

कहा कि वह दाढ़ी वाला आदमी इसी की तरह का रहा होगा। साक्षी ने यह भी कहा कि ज्यादा समय होने के कारण कन्फर्म नहीं है। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 07.03.2006 को बम विस्फोट की घटना घटित होना स्वीकार किया है।

75. साक्षी पी.डब्लू.–6 किशन सोनकर ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वाराणसी में बम ब्लास्ट की घटना दो साल पहले होली के मौसम में सात तारीख को हुई थी। कैंट स्टेशन की घटना और बम ब्लास्ट करीब 6.35 बजे व 6.40 बजे हुआ था। इसके अलावा संकट मोचन मंदिर और दशाश्वमेघ की तरफ भी धमाके हुये थे, बम तीनों जगह फटे थे। इन घटनाओं से तीन चार दिन पहले कैंट स्टेशन पर एक दाढ़ी वाला व्यक्ति, हाजिर अदालत वलीउल्ला को देखकर कहा यही व्यक्ति था, उसके साथ व तीन चार आदमी और देखे थे। करीब एक महीने बाद टेलीविजन और अखबार से देखकर पता चला कि वही दाढ़ी वाला व्यक्ति अदालत ले जाया जा रहा है जिसका चित्र उसने टी.वी. व अखबार में देखा था। चार तारीख को जो व्यक्ति उसने स्टेशन के पास देखा था और फिर घटना के एक माह बाद जिसका चित्र अखबार व टी.वी. पर देखा था वह एक ही व्यक्ति था। चार तारीख को उसने इस दाढ़ी वाले व्यक्ति को स्टेशन के पास सुबह करीब 10 बजे देखा था। ये कैंट स्टेशन की तरफ ताक रहे थे।

साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि टी.वी. पर देखकर ही पता चला कि उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को अदालत ले जा रहे थे। साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में घटना कारित होने तथा चार तारीख को दाढ़ी वाले व्यक्ति को स्टेशन के पास सुबह करीब 10 बजे देखे जाने का कथन किया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि जिसका चित्र उसने टी.वी. व अखबार में देखा था। चार तारीख को जो व्यक्ति उसने स्टेशन के पास देखा था और फिर घटना के एक माह बाद जिसका चित्र अखबार व टी.वी. पर देखा था वह एक ही व्यक्ति था।

76. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–7 डाक्टर अरविन्द सिंह द्वारा अपनी साक्ष्य में मृतकों के शवों का शव विच्छेन (पोस्टमार्टम) किया जाना कहा गया है। साक्षी ने मृतक मनोहर लाल लालोटिया के शव विच्छेदन रिपोर्ट को प्रदर्श क–2 एवं अशोक कुमार वर्मा के शव विच्छेदन रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किश्स है तथा अपनी साक्ष्य में कहा है कि दोनों मृतकों की चोटें बम विस्फोट व बम फटने पर उसके अवयवों से आना संभव है।

अतः साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतकों की मृत्यु उक्त बम विस्फोट की घटना में आयी चोटों के कारण हुई है।

77. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–8 डॉक्टर अतुल कुमार सिंह द्वारा मृतक श्याम सुन्दर छापड़िया के शव का शव विच्छेदन किया गया तथा साक्षी ने शव विच्छेदन रिपोर्ट को प्रदर्श क–4 के रूपमें साबित किया है तथा अपनी राय में कहा है कि मृतक की मृत्यु बम विस्फोट में आयी मृत्यु से पूर्व की चोटों के कारण हुई है। मृत्यु, चोटें आने के कारण तुरन्त हो गयी थी। यह भी कहा है कि

मृतक के घावे में से धातु व प्लास्टिक के अवशेष बरामद किये। यह भी कहा है कि मृतक की मृत्यु बम विस्फोट में आयी चोटों के कारण दिनांक 07.03.2006 को समय लगभग 7.00 बजे होना संभव है।

अतः साक्षी की साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु उक्त बम विस्फोट की घटना में आयी चोटों के कारण हुई है।

78. साक्षी पी.डब्लू.–9 डॉक्टर एन.पी. सिंह द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि उनके द्वारा मृतक शिवांगी आयु सवा वर्ष पुत्र श्री विद्या भूषण के शव का शव विच्छेदन किया था। साक्षी ने अपनी राय में मृतका की मृत्यु बम विस्फोट में आयी चोटों के कारण फेफड़े फटने से होना कहा है। साक्षी ने शव विच्छेदन रिपोर्ट पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा शव विच्छेदन रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 के रूपमें साबित किया है।

साक्षी द्वारा मृतक हरीश बिजलानी के शव का भी शव विच्छेदन किया गया है तथा साक्षी ने अपनी राय में मृतक की मृत्यु बम विस्फोट के कारण मृत्यु पूर्व आयी चोटों के कारण जिसमें मुख्य रूपसे मस्तिष्क एवं सिर में आयी चोटों के परिणामस्वरूप तत्कालिक मृत्यु शॉक के कारण होना पायी गयी। साक्षी ने शव विच्छेदन रिपोर्ट पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा शव विच्छेदन रिपोर्ट को प्रदर्श क–6 के रूपमें साबित किया है।

इस प्रकार उक्त चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि मृतकों की मृत्यु बम विस्फोट के कारण आयी चोटों से हुई है।

79. साक्षी पी.डब्लू.–10 ललित बहादुर सिंह द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण साक्षी को अभियोजन की याचना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी। साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 07.03.2006 को संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट की घटना होना स्वीकार किया है।

80. साक्षी पी.डब्लू.–11 त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी द्वारा उक्त मामले में आंशिक विवेचना की गयी है गवाहों के बयान लिये गये तथा मृतका के शव विच्छेदन रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिनका खुलासा केस डायरी में किया गया है। साक्षी पी.डबलू.– 11 औपचारिक साक्षी है।

81. साक्षी पी.डब्लू.–12 उपनिरीक्षक फूलचन्द यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मृतक शिवांगी का पंचायतनामा उसके द्वारा दिनांक 08.03.2006 को तैयार किया गया। शव को सील मोहर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पंचायतनामा, सम्बन्धित रिपोर्ट, फोटोनाश, उसके हस्तलेख व उसके द्वारा दस्तखती है जिनकी साक्षी द्वारा शिनाख्त की गयी है। साक्षी ने पंचायतनामें को प्रदर्श क–7, चालाना नाश को प्रदर्श क–8, फोटो नाश को प्रदर्श क–9 के रूपमें साबित किया गया है।

82. साक्षी पी.डब्लू.–13 कां. घनश्याम सिंह औपचारिक साक्षी है जिनके द्वारा वादी मुकदमा समरजीत सिंह थानाध्यक्ष थाना लंका की तहरीर के आधार पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि मुकदमें की कायमी जी.डी. उसी दिन रपट संख्या 16 समय 7.20 पर एस.ओ. समरजीत सिंह के बोलने पर कां.क्लर्क हृदय नारायण यादव के द्वारा लिखी गयी थी जिसकी कार्बन प्रति एक ही प्रक्रिया में तैयार की गयी थी, पत्रावली पर मौजूद है। हृदय नारायण के हस्तलेख में है। साक्षी द्वारा उनके लेख की शिनाख्त की गयी है। साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क–11 एवं जी.डी. को प्रदर्श क–12 के रूपमें साबित किया है।

83. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–14 शीला देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि लगभग 4 वर्ष हो गये हैं। करीब चार साल पहले वह संकट मोचन मंदिर में अपनी मौसेरी सास की पोती रेनू की शादी में आई थी। शादी में और लोग भी शामिल थे। शाम के 6–6.30 बजे का समय था, बम फटा था, जिससे धुंआ व अंधेरा हो गया था। बम विस्फोट से उसके पैर व सिर में चोट लगी थी, वह गिर गयी थी। 4–5 अन्य जनों को भी चोटें आयी थी। उसे कपिचौरा अस्पताल में घायल अवस्था में दाखिल किया था, जहां उसका इलाज हुआ था। अभियुक्त की ओर से साक्षी से कोई जिरह नहीं की गयी। अतः इस साक्षी की साक्ष्य से घटना घटित होने का तथ्य साबित है।

84. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–15 चमेली देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वह रेनू की शादी में सम्मिलित होने के लिए संकट मोचन मंदिर गयी थी। वहां पर विस्फोट हुआ। अंधेरा हो गया था। उसके चोट लगी व भगदड़ मच गयी थी। उसे कपिचोरा अस्पताल में चोटों के इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। मंदिर में कई शादियां थीं। हजारों आदमी मौजूद थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कहा है कि कपिल चौरा अस्पताल में पुलिस वालों ने उससे घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की थी। इस साक्षी की साक्ष्य से घटना घटित होना साबित है।

85. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–16 रेखा, साक्षी पी.डब्लू.–17 श्रीमती सुदामा देवी एवं पी.डब्लू. 18 रेनू मोर्या द्वारा अपनी अपनी मुख्य परीक्षा में घटना घटित होने का कथन किया है।

86. अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू.–19 बाबू उर्फ आर्यन आयु 8 वर्ष को परीक्षित कराया गया है। न्यायालय द्वारा यह पाये जाने पर कि साक्षी साक्ष्य देने में सक्षम परिलक्षित है, मुख्य परीक्षा अंकित की गयी। साक्षी ने कहा है कि वह रेनू मौसी की शादी में संकट मोचन में गया हुआ था, उसे नहीं मालूम कि संकट मोचन क्या है। शादी में वह अपने नाना नानी और मौसी के साथ गया था, मौसी का नाम चंदा है, उसे नहीं मालूम कि वहां क्या हुआ था, उसके पेट में चोट आयी थी, उसे नहीं मालूम कि उसे किसने चोट पहुंचाई थी। उसे नहीं मालूम कि जहां शादी हुई थी, वहाँ धमाका हुआ था या नहीं? अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा का अवसर दिया गया, परन्तु अभियुक्त की

ओर से प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से कोई विशेष तथ्य निकलकर नहीं आया है।

87. अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू.– 20 कलावती ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि घटना दि० 07.03.2006 की शाम 6–6.30 बजे की है। वह संकटमोचन मंदिर पर परिक्रमा व पूजा करने गयी थी। जब वह पूजा करके वापसी के लिये चप्पल पहन रही थी, तभी बहुत जोर से धमाका हुआ। इस बम धमाके से उसके पेट में, जबडे में, कमर में व कनपटी पर चोटें आयी थीं। उसके साथ उसकी लड़की कविता व भतीजी शिवांगी भी थीं। उस समय उसकी लड़की 8 साल की थी तथा शिवांगी डेढ़ वर्ष की थी। इनको भी चोटें आयी थीं। चोटों के कारण शिवांगी की मौके पर ही मौत हो गयी थी। साक्षी ने यह भी कहा है कि बम धमाके में उसके दायें कान की आवाज व दायीं आंख की रोशनी चली गयी है। उसे यह जानकारी नहीं है कि यह घटना किसने घटित की व कैसे घटित हुई? साक्षी से जिरह करने की अनुमति दी गयी परन्तु अभियुक्त की ओर से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से भी संकट मोचन मंदिर में घटना घटित होना साबित है।

88. इसी प्रकार साक्षी साक्षी पी.डब्लू.–21 कु० कविता मिश्रा आयु 14 वर्ष द्वारा घटना घटित होना स्वीकार करते हुए कहा है कि विस्फोट आतंकवादियों ने किया था। वह उसको पहचानती नहीं है।

89. साक्षी पी.डब्लू.–22 शाहिद हुसैन, सेवानिवृत उप निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान में दिया है कि दि० 25.03.2006 को वह थाना लंका में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। उस दिन थाने से BHU अस्पताल में वह पहले से ही मौजूद था। उसके द्वारा रितेश उपाध्याय का पंचायतनामा व अन्य कागजात चालान नाश, फोटो नाश तथा चिटठी CMO आदि तैयार किये तथा शव को सील करके कां० मोतीलाल वर्मा के सुपुर्द किया तथा पोस्टमार्टम कराने हेतु हिदायत दी। उसके द्वारा पंचायतनामा तैयार करने के बाद पंचों के हस्ताक्षर कराये गये थे। पंचायतनामें पर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। साक्षी ने पंचायतनामा को प्रदर्श क–13, चालान नाश प्रदर्श क–14, फोटो नाश प्रदर्श क–15 तथा चिटठी सी०एम०ओ० प्रदर्श क–16 के रूपमें साबित किया है। अभियुक्त की ओर से साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी।

उक्त साक्षी औपचारिक साक्षी है उसके द्वारा मृतक रितेश का पंचायतनामा व अन्य प्रपत्र तैयार किया जाना अभिकथित किया है।

90. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–23 एस०आई० शिवराम भी औपचारिक साक्षी है उसके द्वारा दि० 07.03.2006 को थाना लंका क्षेत्र में बम विस्फोट में घायलों के पंचायतनामें हेतु BHU अस्पताल में गया था। वहां पर उसने तीन मृतकों के पंचायतनामें भरे थे। उसने मृतक हरीश बिजलानी, श्याम सुन्दर छपाड़िया एवं मनमोहन का पंचायतनामा, चालान नाश, फोटो नाश व अन्य

कागजात तैयार किये थे तथा शव को सील करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया था। पंचायतनामा, चालान नाश व फोटो नाश पत्रावली पर दाखिल है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, साक्षी ने प्रपत्रों को प्रदर्श क–17 लगायत प्रदर्श क–25 साबित किया है।

91. पी.डब्लू. 24 श्रीमती रीता राय ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की है उस दिन वह संकट मोचन मंदिर में दर्शन के लिये गई थी। उसने दर्शन कर लिये थे, उस दिन वहां शादियां हो रही थीं। वे बरामदें में खड़े होकर शादियों देख रहे थे। उसके साथ उसकी बेटी अदिति राय व उज्वल राय भी थे। उज्वल राय उस समय दो वर्ष का था। तभी 6.30 बजे शाम बम धमाका हुआ जिसमें बहुत से लोगों को चोटें आईं थीं। उसे तथा उसके बच्चों को भी चोटें आयी थीं। बम विस्फोट बहुत जोर से हुआ था, अंधेरा छा गया था। उसका व उसके बच्चों की चोटों का BHU अस्पताल में इलाज हुआ था। डाक्टरी मुआयना भी हुआ था। उसे कान में, कूल्हें पर, हाथ दाहिने पर चोट आई थी। उसने किसी को बम धमाका करते हुये नहीं देखा।

इस साक्षी से अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी परन्तु इस साक्षी की साक्ष्य से दिनांक 07.03.2006 को घटना घटित होना साबित किया है।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–25 कु० अदिति द्वारा भी अपने साक्ष्य में बम विस्फोट होने तथा उक्त घटना में उसके चोटें आने का कथन किया हैं।

92. पी.डब्लू.–26 राम निरंजन शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दि० 07.03.2006 को वह थाना लंका में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाने से कां० मोतीलाल वर्मा के साथ हेरीटेज अस्पताल आया और उस दिन उसने उक्त अस्पताल की मोर्चरी में प्रभाकर द्विवेदी के शव का पंचायतनामा व अन्य कागजात तैयार किये। साक्षी ने पंचायतनामा, चिटठी सी०एम०ओ०, फोटो नाश तथा चालान नाश आदि पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा प्रदर्श क–26 ता प्रदर्श क–29 के रूप में साबित किया है। साक्षी ने यह भी कहा है कि दि० 08.03.2006 को उसे अ०सं० 28/ 2006 अंतर्गत धारा 3/4/ 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व 15/16 समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम एवं धारा 302, 307, 326, 324 भा०द०सं० की विवेचना मिली थी। उन्होंने वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा बनाया था। साक्षी ने घटना स्थल के नक्शा नजरी पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा प्रदर्श क–30 के रूपमें साबित किया। घटनास्थल से खून आलूदा व सादा मिटटी तथा घटनास्थल पर पड़े अन्य सामान को कब्जे में लेकर फर्द बनायी थी जो साक्षी के हस्तलेख में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–31 के रूप में साबित किया है। घटनास्थल पर बम डिस्पोजल दस्ते के प्रभारी किशन पाल सिंह रावत, जो मौके पर आये थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 08.03.2006 उसे दी थी तथा उन्होंने मौके से जो बम के अवशेष लिये थे, वह उसे सौंपे थे, जिसकी फर्द उसके द्वारा बनायी गयी थी। साक्षी ने फर्द पर अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा फर्द को प्रदर्श क–32 के रूपमें साबित किया। किशन पाल रावत द्वारा उसे रिपोर्ट प्रदर्श क–33 दी गयी थी। दि० 09.03.2006 को एस.एस.पी. स्पेशल टॉस्क फोर्स

वाराणसी के आदेश से विवेचना अन्य अधिकारी को स्थानांतरित की गयी। जो माल उन्होंने घटनास्थल से कब्जे में लिया था वह न्यायालय में मौजूद है, जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा से परीक्षण के बाद प्राप्त हुआ है, जिसमें से एक डिब्बा टीन का तथा तीन अन्य पुलिन्दे निकले। सर्वप्रथम टीन का डिब्बा जो अपराध संख्या 28/2006 से सम्बन्धित है, आज साक्षी के समक्ष है, जिसे मौके पर सील किया गया था, जिसमें मौके से खून आलूदा मिटटी इकटठा की गयी थी। इस डिब्बे पर जो कपड़े में सील है पर वस्तु प्रदर्श–4 डाला गया। एक अन्य पुलिन्दा जो सील मोहर है जिसमें बम के अवशेष एकत्र किये गये है जिसका प्रयोग घटना स्थल पर किया गया था। उसके समक्ष है जिस पर वस्तु प्रदर्श–3 पहले से ही अंकित है। यह समस्त माल उसे किशनपाल सिंह रावत प्रभारी निरीक्षक बम विस्फोटक स्क्वायड द्वारा कब्जे में दिये गये थे। साक्षी से प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी गयी, परन्तु अभियुक्त की ओर से साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है।

93. साक्षी पी.डब्लू.–27 आशीष सोनकर उम्र 15 साल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दि० 07.03.2006 की घटना है। उस दिन वह हरीश बिजलानी के साथ जो उसका मालिक है, वीडियोग्राफी के लिये संकट मोचन मंदिर बनारस गया था। यह वीडियोग्राफी एक शादी समारोह की होने वाली थी। शायं करीब 6–6.30 बजे एक जोरदार बम धमाका हुआ जिससे सब अस्त व्यस्त हो गया। लोगों का एक दूसरे से सम्पर्क टूट गया। बहुत से लोग घायल हो गये। उसका मालिक हरीश बिजलानी इस घटना में मर गया। उसकी दायीं टांग में काफी चोटें आयी थी, कई जगहों से मांस उड़ गया। शरीर के अन्य भागों में भी बहुत चोट आई। उसकी चोटों का इलाज BHU में हुआ था।

साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया, परन्तु इस साक्षी की मुख्य परीक्षा से यह स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को संकट मोचन मंदिर में बम बिस्फोट की घटना घटित हुई थी।

94. अभियोजन की ओर से साक्षी पी.डब्लू.–28 धनंजय, जिसे यू०के०जी० में पढ़ना बताया गया है, को साक्ष्य में परीक्षित कराये जाने हेतु न्यायालय के द्वारा प्रश्न किये गये परंतु न्यायालय द्वारा साक्षी को साक्ष्य देने के लिये उपयुक्त नहीं पाया गया।

95. पी.डब्लू.–29 सपना दूबे उम्र 16 वर्ष द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया परन्तु उसके द्वारा धमाका होने तथा उसके तथा उसके भाई के चोटें आने का कथन किया है।

96. पी.डब्लू.–30 एस०आई० किशन पाल सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दि० 07.03.2006 को बम डिस्पोजल स्कवायड काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद पर तैनात था। सूचना आर०टी० सैट से प्राप्त होने के बाद वह तथा उसका दल खोजी कुत्तों व उपकरणों सहित संकट मोचन मंदिर, जो थाना लंका के अंदर पड़ता है, का मुआयना किया। घटना स्थल से अन्य कोई विस्फोटक सामग्री प्राप्त नहीं हुई। निरीक्षण के दौरान

घटनास्थल से विस्फोटक सामग्री के नमूना अवशेष प्राप्त हुये थे जिनको घटना स्थल से एकत्र करने के उपरांत लंका थाने पर दाखिल किया था, तभी घटना स्थल का निरीक्षण किया था। अवशेष एकत्र करने की फर्द तैयार की जो पत्रावली पर अभिलेख संख्या प्रदर्श क–33 के रूपमें दाखिल है जो उसके हाथ की लिखी व दस्तखती है एक पुलिन्दा खोला गया जिसमें से मौके से बरामद विस्फोटक के अवशेष जो उसके द्वारा एकत्र किये गये थे, उपलब्ध है, जिसमें प्रेशर कूकर के टुकड़े, नट बोल्ट व कील के टुकड़े व लाल कपड़े के टुकडे हैं। साक्षी ने यह कहा है कि यह वही सामान है जो घटनास्थल से उसने एकत्र किया है। इन अवशेषों पर वस्तु प्रदर्श–1 अंकित किया गया। इसके अलावा लाल व काले कपड़े के छोटे–छोटे टुकडों को साक्षी ने शिनाख्त किया, जिन पर वस्तु प्रदर्श–2 अंकित किया गया है, जिस कपडे में वस्तु प्रदर्श–1 व 2 सील किये गये थे, उस पर वस्तु प्रदर्श–3 अंकित किया गया। न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछने पर साक्षी ने बताया कि "जो अवशेष मौके से प्राप्त हुये उनको देखने से प्रतीत होता है कि प्रेशर कूकर को बम के रूप में इस्तेमाल किया गया है।" साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गयी तो साक्षी ने कहा है कि यह कहना गलत होगा कि विस्फोट गैस के सिलेण्डर फटने के कारण हुआ हो, बम विस्फोट के परिणामस्वरूप नहीं। न्यायलय द्वारा साक्षी से पूछने पर साक्षी ने बताया कि जो अवशेष मौके से प्राप्त हुए उनको देखने से प्रतीत होता है कि प्रेशर कुकर को बम के रूपमें इस्तेमाल किया गया है।

97. पी.डब्लू.–31 श्रीमती श्याम सुंदरी देवी ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दि० 07.03.2006 की घटना है उस दिन वह संकट मोचन मंदिर में अपनी बेटी साधना राय के साथ दर्शन के लिये गयी थी और भी लोग वहां मौजूद थे। शाम के करीब 6–6.30 बजे के बीच जोर का बम धमाका हुआ था जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गयी थी। उसकी लड़की उससे अलग हो गयी। उसे लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया। उसे बी०एच०यू० सर सुन्दर राम चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। उसके शरीर में बम विस्फोट के परिणामस्वरूप चोटें आयी व उसके सुनने की शक्ति क्षीण हो गयी। उसे नहीं मालूम कि ये बम विस्फोट किसने किया। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है। इस साक्षी की साक्ष्य से घटना घटित होना साबित है।

उक्त साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में दिनांक 07.03.2006 को संकट मोचन मंदिर में विस्फोट की घटना होना तथा उसे चोटें आना स्वीकार किया है।

इसी प्रकार अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–32 साधना राय ने अपने साक्ष्य में उसके व उसकी माता के गम्भीर चोटें आने तथा जोर का धमका होने का तथ्य स्वीकार किया है।

98. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–33 संतोष कुमार साहनी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की शाम 6– 6.30 बजे की है। वह उस दिन अपने मालिक मनोहर लाल भालोटिया के रिश्तेदार की शादी में संकटमोचन मंदिर में मौजूद था। शादी का समारोह चल रहा था। उसी दौरान एक बम विस्फोट हुआ। बम विस्फोट के कारण उसे चोट आयी, वह बहुत दूर जाकर गिरा। वह घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया। इस घटना में उसका

मालिक मनोहर लाल भालोटिया व अन्य बहुत से लोगों को चोटें आईं। उसके मालिक की बाद में मृत्यु हो गयी थी। उसे जनता के लोग BHU अस्पताल ले गये थे। घटना में उसकी दायीं टांग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी, जो बाद में 2/3 भाग काटनी पड़ी। अब वह कृत्रिम टांग से बामुश्किल चल पाता है। उसने इस घटना को करते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा। साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया परन्तु इस साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त घटना में उसके चोटें आयीं थी तथा उसके मालिक की बाद में मृत्यु हो गयी थी तथ घटना घटित होना भ्ाी स्वीकार किया है।

99. पी.डब्लू.–34 सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दि० 07.03.2006 की है। उस दिन उसकी संकटमोचन मंदिर थाना लंका में शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए उसके रिश्तेदार तथा लड़की पक्ष वाले भी मौजूद थे। इसके अलावा और भी लोग मंदिर में मौजूद थे। उस दिन मंगलवार था। बहुत अधिक भीड़ थी, जो हजारों में भी हो सकती है। शाम 6.15 बजे शादी के उपरान्त आशीर्वाद समारोह चल रहा था कि तभी तेज धमाका हुआ। चारों तरफ धुंआ फैल गया। कुछ नजर नहीं आ रहा था। बम विस्फोट में उसे व उसकी पत्नी मंजू, उसके पिता सत्यनारायण प्रसाद, मनोहर लाल, श्याम सुन्दर छाबडिया, गुरू जी डॉक्टर प्रभाकर द्विवेदी तथा अन्य आठ–दस लोगों को चोटें आयीं थी। इस घटना में उसके फूफा जी मनोहर लाल, उसके ससुर श्री श्याम सुंदर तथा गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। उन्हें घायल अवस्था में लोगों की मदद से बनारस विश्व विद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चला। बम विस्फोट किसने किया उसे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके पिता जी श्री सत्य नारायण प्रसाद का बम विस्फोट के कारण एक पैर काटना पड़ा। इस समय वह चलने फिरने में कतई असमर्थ हैं।

साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दिनांक 07.03.2006 को बम विस्फोट की घटना हुई और उसमें उसके, उसकी पत्नी मंजू व पिता सत्यनारायण प्रसाद व अन्य कई लोगों को काफी चोटें आने तथा मनोहर लाल जी, उसके ससुर श्याम सुन्दर छाबडिया तथा गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। साक्षी की साक्ष्य से घटना स्थल पर उक्त दिनांक को घटना घटित होना साबित है।

100. इसी प्रकार साक्षी पी.डब्लू.–35 श्रीमती मंजू अग्रवाल ने भी अपनी साक्ष्य में घटना होने उसके व उसके परिजनों तथा अन्य को चोटें आना तथा उसके पिता श्याम सुन्दर छाबड़िया, गुरू जी डॉ. प्रभाकर द्विवेदी तथा उसक फुफिया ससुर मनोहर लाल की मौके पर ही मृत्यु होने का साक्ष्य दिया है।

101. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–36 श्रीमती रेनू देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 07.03.2006 को उसके देवर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल की शादी थी, जिसमें वह, उसके पति प्रमोद कुमार अग्रवाल, ससुर श्री सत्य नारायण अग्रवाल तथा छोटे देवर श्री

सुशील कुमार अग्रवाल व अन्य लोग शामिल हुए थे। यह शादी संकट मोचन मंदिर थाना लंका वाराणसी में सम्पन्न होनी थी, जिसमें शामिल होने के लिए उसके अन्य रिश्तेदार एवं मेल जोल के लोग शामिल थे। उसके देवर सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल की शादी का समारोह चल रहा था और आशीर्वाद का प्रोग्राम हो रहा था। तभी 6.15 बजे एक जोरदार बम धमाका हुआ। चारों ओर अंधेरा छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस बम विस्फोट में वह, उसका देवर सुरेन्द्र कुमार तथा उसकी पत्नी मंजू अग्रवाल, उसके ससुर सत्यानारायण, उसके फुफिया ससुर मनोहर लाल, गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी तथा उसकी देवरानी मंजू अग्रवाल के पिता श्याम सुन्दर छाबड़िया भी घायल हुए थे। इनमें से फुफिया ससुर मनोहर लाल, मंजू अग्रवाल के पिता श्याम सुंदर छाबडिया तथा गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। उसके दांई बाजू, जांघ व कमर पर बम विस्फोट की चोटें आयीं थी। उसके ससुर सत्यनारायण का दाहिना पैर पूरी तरह नष्ट हो गया, अब वह चलने फिरने लायक नहीं हैं। यह बम विस्फोट किसने किया उसे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

इस साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपनी साक्ष्य में घटना घटित होने तथा चोटें आने तथा कुछ की मृत्यु होने का कथन किया है।

102. साक्षी पी.डब्लू.–37 श्री सुशील अग्रवाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वह अम्बिकापुर प्रांत छत्तीसगढ जिला–सरगुजा में ठेकेदारी का काम करता था। उसके भाई सुरेन्द्र कुमार की शादी दिनांक 07.03.2006 को संकटमोचन मन्दिर थाना लंका जनपद वाराणसी में सम्पन्न होनी थी, जिसमें वह सम्मिलित होने के लिए गया था, उसके भाई की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। शाम के लगभग छः बजकर पन्द्रह मिनट पर विस्फोट हुआ, जिससे बडी जोर से धमाका हुआ, चारों तरफ धुंआ हो गया। कुछ दिखायी नहीं दे रहा था। इस बम विस्फोट के कारण उसे, उसके पिता श्री सत्यनारायण, प्रमोद कुमार, सुरेन्द्र कुमार, मंजू देवी, रेनू देवी के चोटें आयीं तथा कुछ लोग श्याम सुन्दर छापड़िया तथा गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी, मनोहर लाल की मौके पर मृत्यु हो गयी। उसके पिता सत्यनारायण के भी अत्यधिक गम्भीर चोटें आयीं थी और उनका एक पांव काटना पड़ा। उसके भाई की शादी के अलावा वहां और भी अन्य शादियां हो रहीं थीं, हजारों की भीड थी। उनके परिवार के अलावा अन्य लोग भी घायल हुए थे।

इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना घटित होने तथा चोटें आने का कथन किया है।

103. अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–38 श्री द्वारिका प्रसाद केसरी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वह ग्राम इटाढी में लेमन जूस बेचने की छोटी सी दुकान करता है। दिनांक 07.03.2006 को वह अपने साले भरत लाल केसरी की लड़की उषा की शादी में शामिल होने के लिए संकट मोचन मन्दिर, वाराणसी आया हुआ था। शादी की सभी रस्म पूरी हो गयी थी, दूल्हा दुल्हन व रिश्तेदार चले गये थे। वह व उसकी पत्नी गुलाबी देवी वहां दर्शन करने के लिए रह गये थे। वहां और भी शादियां हो रही थीं, तभी समय करीब सवा छः बजे शांम बहुत जोर से धमाका हुआ, चारों तरफ धुआं हो गया, कुछ दिखायी नहीं दे रहा था। इस बम विस्फोट में उसे व अन्य

बहुत से लोगों को चोटें आयीं। वह विस्फोट में आयी चोटों के कारण बेहोश हो गया था। उसे पुलिस ने बी.एच.यू. अस्पताल, वाराणसी में दाखिल कराया था। चोटें उसे पेट पर दायीं ओर आयी थीं, जिसके कारण आज भी वह कार्य करने में असक्षम है। बी.ए.यू. अस्पताल में उसका डाक्टरी मुआयना हुआ था। उसकी पत्नी उससे थोडी अलग थी। इस कारण वह बच गयी थी। वह घटना/बम विस्फोट करने वाले को नहीं देख सका।

साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया गया परन्तु अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई जिरह नहीं की गयी हैं। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दिनांक 07.03.2006 को घटना घटित हुई तथा उसके तथा रिश्तेदारों के चोटें आयीं थी।

104. साक्षी पी.डब्लू.–39 चन्द्र शेखर तिवारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि घटना दिनांक 07.03.2006 की है। उस समय वह काशी विश्वविद्यालय में एम.ए. प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था। बम विस्फोट के दिन वह सुरेन्द्र अग्रवाल की शादी में अपने मित्र शशिभूषण के साथ आमंत्रित था। वह शशिभूषण के साथ संकटमोचन मन्दिर गया था। इस शादी को उसके गुरू जी प्रभाकर द्विवेदी करा रहे थे। शादी छः बजकर दस मिनट पर समाप्त हो चुकी थी। मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम जारी था व आशीर्वाद का कार्यक्रम जारी था। वह उसी प्रांगण में पान खाने के लिए गया था कि एकाएक काफी जोर से आवाज हुई। घटना–स्थल पर धुंआ हो गया। धुआं हटने के बाद वह घटना स्थल पर पहुँचा तो देखा कि शादी स्थल के पास काफी लोग घायल पड़े थे तब उसकी जानकारी में आया कि घटना स्थल पर बम विस्फोट हुआ है। वह अन्य लोगों के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे, जैसे ही वह घायलों को लेकर चले तो उसके गुरू प्रभाकर द्विवेदी की मौत मौके पर उसके हाथों में ही हो गयी थी। धमाका होने पर भगदड़ मची थी तथा काफी लोगों के जूते चप्पल घटना स्थल पर छूट गये थे। इस घटना में काफी लोग मारे गये थे व काफी घायल हो गये थे। यह घटना लगभग 6 बजकर 30 मिनट शाम की है। घटना घटने से पहले संदिग्ध व्यक्ति को देखा था। उसकी उम्र लगभग 30–35 वर्ष की रही होगी। वह पेंट शर्ट पहने हुए था। संदिग्ध व्यक्ति चौकन्ना सा लग रहा था। इधर–उधर देख रहा था। उक्त साक्षी की साक्ष्य से भी उक्त दिनांक को घटना घटित होना साबित है।

105. साक्षी पी.डब्लू.–40 श्री के.एल. वर्मा ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 29.12.2006 को वह गृह मंत्रालय में तैनात था। विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाने हेतु संस्तुति गृह विभाग से दी जाती है और उस विभाग में उस समय कार्यरत था। सी.सी. नम्बर 28/2006 सरकार बनाम वलीउल्लाह धारा 302,307,324,323 भा०द०सं० एवं 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना लंका वाराणसी के मामले में वलीउल्लाह के विरूद्ध अभियोग चलाने हेतु पत्रावली एस.एस.पी. वाराणसी के माध्यम से प्राप्त हुयी थी। उक्त पत्रावली पर न्याय विभाग से अनुमति दी थी व पत्रावली भेजी गयी थी तथा अनुमति हेतु पत्रावली पुनः गृह विभाग में प्राप्त हुई थी। राज्यपाल महोदय की आज्ञा से अभियुक्त वलीउल्लाह के विरूद्ध वाद चलाने हेतु अनुमति तत्कालीन गृह सचिव श्री आर.एम.

श्रीवास्तव द्वारा अपने पत्रांक 115/2/1/2006 दिनांक 29.12.2006 के द्वारा जारी की गयी थी। वह गृह सचिव आर. एम. श्रीवास्तव के साथ रहा है। उनके हस्ताक्षर पहचानता है। आदेश दिनाकं 29.12.2006 उनके द्वारा बोलकर व निर्देशों पर टाईप किया गया था। उक्त आदेश पर हस्ताक्षर उनके सामने किये थे। साक्षी ने आर.एम. श्रीवास्तव के हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा आदेश को प्रदर्श क–34 के रूप में साबित किया।

उक्त साक्षी घटना के समय गृह मंत्रालय में तैनात रहा है तथा उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण, अधिनियम के अंतर्गत अभियोग चलाने हेतु संस्तुति गृह विभाग से दिये जाने के तथ्य को साबित किया है।

106. साक्षी पी.डब्लू.–41 क्षेत्राधिकारी डी.पी. शुक्ला ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि वह दिनांक 10.07.2006 को सी.ओ. भेलूपुर वाराणसी पर तैनात था। उस दिन उसे इस प्रकरण की विवेचना एस.एस.पी. के आदेशानुसार पूर्व विवेचक से स्थानान्तरित होकर मिली थी। उसने पूर्व विवेचक से सी.डी. व सम्बन्धित कागजात प्राप्त किये, गवाहान प्रताप सिंह व ललित बहादुर सिंह के बयान लिए तथा साक्ष्य के आधार पर वलीउल्लाह के खिलाफ आरोपपत्र 46 दिनांक 11.07.2006 को प्रस्तुत किया। आरोपपत्र उनके लेख व हस्ताक्षर में है जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–35 के रूपमें साबित किया है। दिनांक 11.07.2006 को उसने अभियुक्त के विरूद्ध धारा–3/4/5 Ex. P. Act के अंतर्गत वाद चलाने हेतु तत्कालीन डी.एम. वाराणसी को आवेदन दिया था व डी.एम. वाराणसी द्वारा दिनांक 17.07.2006 को पत्रांक 877/JA–III–2006 अनुमति दी गयी थी। आवेदन की कार्बन प्रति जो असल के साथ तैयार की गयी थी, पत्रावली में दाखिल है। जिसे साक्षी ने प्रदर्श क–36 के रूपमें साबित किया है। डी.एम. साहब द्वारा स्वीकृति दी गयी थी, स्वीकृति आदेश प्रदर्श क–37 हैं। उसने अभियुक्त वलीउल्ला के विरूद्ध, विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम में विवेचना जारी रखी व गवाहान के बयान लिये। दिनांक 18.07.2006 को उसने अभियुक्त वलीउल्ला के विरूद्ध 15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का आवेदन दिया जो प्रदर्श क–38 है। अभियुक्त के विरूद्ध शासन से संस्तुति पत्रांक संख्या–115/2/1/2006 प्राप्त हुई जो प्रदर्श क–34 है। उसने ललित बहादुर का बयान लिया था जो उसके सामने सी.डी. में मूल रूप में है जिस पर प्रदर्श क–39 डाला गया। उसने धारा–15/16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनियम के अंतर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया था जो प्रदर्श क–40 है।

उक्त साक्षी विवेचक है उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

107. साक्षी पी.डब्लू. 42 उपनिरीक्षक वेंकटेश तिवारी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 10.04.2006 को वह लखनऊ जिला कारागार में गया था जहां पर अभियुक्त वलीउल्लाह का अपराध संख्या–28/2006 धारा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना लंका जिला बनारस से सम्बन्धित वारंट बी डिप्टी जेलर को तामील कराया था। दिनांक 27.04.2006 को वह उक्त अपराध संख्या के विवेचक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी सी.ओ. भेलूपुर के

निर्देश पर अभियुक्त वलीउल्लाह के शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी करने दारूल उलूम देवबंद जिला सहारनपुर गया था व जानकारी की थी। वहां पर वसीर नाम के तीन व्यक्ति वसीर अहमद, मौ० वसीर व वसीर अहमद मलिक मिले। इन सभी के प्रवेश फार्म उर्दू भाषा में थे जिनकी छाया प्रतियां पत्रावली पर 231/47 लगायत 58 हैं। इसके सम्बन्ध में उसने विवेचक को रिपोर्ट प्रेषित की थी जो प्रदर्श क–41 है।

108. साक्षी अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–43 डॉक्टर आर.पी. शुक्ला, पी.डब्लू.–44 डॉक्टर लाल चन्द यादव, पी.डब्लू.–45 डॉक्टर राजेश कुमार एवं पी.डब्लू.–46 डाक्टर देवेन्द्र प्रताप सिंह चिकित्सक एवं औपचारिक साक्षी हैं जिनके द्वारा मृतकों का शव विच्छेदन एवं घायलों का इलाज किया तथा उनके प्रपत्र तैयार किये गये।

109. साक्षी पी.डब्लू.–47 निरीक्षक अजय कुमार सिंह भी औपचारिक साक्षी है जिनके द्वारा मृतक मनोहर लाल भालोटिया का पंचनामा चालान नाश, फोटो नाश चिटठी सी.एम.ओ. आदि प्रपत्र तैयार किये गये जिन्हें साक्षी ने प्रदर्श क–78 लगायत प्रदर्श क–81 के रूपमें साबित किया है।

110. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवेचक द्वारा साक्षी पी.डबलू.–2 एच.सी. राम अवध यादव का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० दिनांक 19.03.2006 को अंकित किया गया है तथा पी.डब्लू.–3 सीताराम का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० घटना से 3 माह के उपरान्त दिनांक 22.06.2016 को अंकित किया गया है। उक्त मामले में उक्त गवाहान के बयान काफी विलम्ब से विवेचक द्वारा लिये गये है जिससे उक्त साक्षीगण के बयान विश्वसनीय नहीं है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अभियुक्त की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाएं दाखिल की गयी हैं–

1. Harjinder Singh@ Bhola Vs. State of Punjab (2004) 11 SCC 253
2. Kehar Singh and Others Vs. State (Delhi Administration) 1998 (3) SCC609
3. Jagjit Singh Vs. State of Punjab AIR 2005 SC 913
4. Ganesh Bhavan Patel and another Vs. State of Maharashtra (1978)4 SCC 371.
5. U.O.I. Vs. M/s chaturbhai M. Patel & Co 1976(1) SCC 747
6. Mausam Singh Roy & Ors. Vs. West Bengal (2003) 12 SCC 377

111. दूसरी ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी का तर्क है कि यदि किसी साक्षी का साक्ष्य विवेचक द्वारा विलम्ब से लिया गया तो इसका लाभ अभियुक्त को नहीं मिल सकता और यह भी कहा गया है कि विलम्ब से बयान अंकित करने का यह तात्पर्य नहीं है कि साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० विश्वसनीय नहीं है अभियोजन की ओर से माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था 2005(51) ACC 941 SUPREME COURT State of U.P. Vs. Satish, Criminal Appeals Nos 256–257 of 2005 Decided Februry 8, 2005 प्रस्तुत करते हुए कहा है कि–

> "Criminal Trial–Delayed examination of witnesses under section 161 Cr. P.C. by Investigating Officer–Effect of–Has to be tested on the touchstone of credibility–If Investigating Officer, during course of trial, has been able to offer a plausible explanation for delay–No adverse inference is to be drawn."

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि साक्षी पी.डब्लू.–3 सीताराम यादव द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि बैग रखने के एक महीना बाद टी.वी. व अखबार में उसने देखा था। टी.वी. व अखबार में देखने के बाद ही पुलिस ने उसका बयान तीन–साढ़े तीन महीना बाद सी.ओ. साहब ने लिया था। मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का नहीं है इसलिए जैसे–जैसे मामले का खुलासा होता गया उसी के अनुसार साक्षियों के विवेचक द्वारा बयान अंकित किये गये है। ऐसी स्थिति में यदि किसी साक्षी का बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० विलम्ब से दर्ज किया गया है तो इससे विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों में बल प्रतीत होता है।

112. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जिन व्यक्तियों द्वारा अभियुक्त को बैग/बम रखते हुए देखा था, उनसे अभियोजन की ओर से अभियुक्त की शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है, शिनाख्त परेड के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त द्वारा बम घटना स्थल पर स्थापित कर घटना कारित की गयी है। अभियुक्त की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाएं दाखिल की गयी है–

1. Kanan & Ors, Vs. State of Kerela 1979 SCC (Crl) 621
2. Prakash Vs. State of Karnataka (2014) 12 SCC 133
3. Jaspal Singh @ Pali Vs. State of Punjab (1997)1 SCC 510
4. State of Maharashtra Vs. Sukhdev Singh and another (1992) 3 SCC 709
5. Sarwan Singh Vs. State of Punjab (2003) 1 SCC 240

113. दूसरी ओर उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त मामले में शिनाख्त परेड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का नही है बल्कि परिस्थितिजन्य पर आधारित है। साक्षी पी.डब्लू.–2 राम अवध यादव द्वारा यह कहा गया है कि 04 मार्च 2006 का प्रातः 10 बजे वह कैंट रेलवे स्टेशन से कचहरी वाराणसी जा रहा था। उसने देखा कि रोडवेज बस स्टैण्ड की तरफ से पेट्रोल पम्प के पास वलीउल्ला व तीन अन्य लोगों को आता देखा था। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने वलीउल्ला को पेश होते समय देखा व पहचाना

था जो हाजिर अदालत है। साक्षी पी.डब्लू.–3 सीताराम ने कहा है कि घटना दिनांक 07.03.2006 की हैं उसने देखा कि चार आदमी खडे थे, एक आदमी बैग लेकर अलग खडा था, अन्य तीन आदमी भी एक दूसरा बैग लेकर खड़े थे। तीन आदमी आगे बढे तो चौथे आदमी ने सड़क पर बैग रखकर उनके पीछे चल दिया। साक्षी ने यह भी कहा कि उसी दिन शाम को संकट मोचन मंदिर पर बम ब्लास्ट हो गया। साक्षी ने हाजिर अदालत मुल्जिम को देखकर कहा कि यह वही व्यक्ति है जिसको उसने टी.वी. पर देखा था। साक्षी पी.डब्लू–4 ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि यह घटना दिनांक 07.03.2006 के साढे चार बजे की है। उसने देखा कि चार आदमी आ रहे थे। दो आदमी के हाथ में दो बैग थे। एक व्यक्ति ने बैंग को जमींन पर रख दिया, जिसमें एक आदमी दाड़ी वाला था। एक महीने बाद टी.वी. में व न्यूज पेपर में पढ़ा एवं फोटो भी देखा। दाढ़ी वाला आदमी का नाम वलीउल्ला था उसे पहचाना। यह आदमी उन चार आदमियों में था जो बैग रखे थे। साक्षी पी.डब्लू.–5 तारकेश्वर द्वारा अपनी साक्ष्य में कहा गया है कि चार मार्च 2006 को जब वह अपने घर से कैंट रेलवे स्टेशन की पास से होता हुआ कचहरी जा रहा था और सुबह दस साढे दस बजे के समय था तो उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला शख्स दो तीन व्यक्तियों के साथ स्टेशन की तरफ से आ रहा था, गवाह ने मुल्जिम हाजिर अदालत वलीउल्ला को देखकर कहा कि वह दाढ़ी वाला शख्स इसी तरह का रहा होगा। इसी प्रकार साक्षी पी.डब्लू.–6 किशन सोनकर ने कहा है कि घटना से पहले तीन चार दिन पहले कैंट स्टेशन पर एक दाढ़ी वाला व्यक्ति मुल्जिम हाजिर अदालत वलीउल्ला को देखकर कहा जो यही व्यक्ति था उसके साथ तीन चार आदमी और देखे थे। जो शायद यही व्यक्ति था। साक्षीगण द्वारा अभियुक्त को न्यायालय में देखकर अथवा उसका टी.वी. व अखबार में फोटो आदि देखकर पहचाना है कि वह घटना घटित होने के पूर्व घटना स्थल के आसपास मौजूद था। इस प्रकार अभियुक्त की अलग से शिनाख्त करायी जाने का कोई औचित्य नहीं है। अभियोजन की ओर यह भी तर्क दिया गया है कि यदि अभियुक्त की शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है तो ऐसी स्थिति में साक्षीगण की साक्ष्य जो कि विश्वसनीय है उसे खारिज नहीं किया जा सकता है। अभियोजन की ओर से अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था 2014 CRL. L.J. 1830 SUPREME COURT Ashok Debbarama alias Achak Debbarama Vs. State of Tripura, Criminal Appeals N0 47–48 of 2013 Decided 04.03.2014 दाखिल की गयी है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

> "(B) Evidence Act (1 of 1872), S. 9–Test identification parade Object – Is to enable witness to identify unknown of fender Holding of parade is not rule of law – Not holding of parade– Cannot be ground to discard evidence of witnesses who are reliable. (Para 17)। "

उपरोक्त परिस्थितियों में शिनाख्त परेड के अभाव में साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और ऐसी स्थिति में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्क में बल प्रतीत होता हैं।

114. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त मामले में कई गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए है ओर उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उ०प्र० राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ,फौजदारी का तर्क है कि यदि कुछ साक्षी पक्षद्रोही को गये हैं तो समस्त साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। अभियोजन की ओर से अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था (2014) 13 SUPREME COURT CASES 90 PAULMELI AND ANOTHER Vs. STATE OF TAMIL NADU, Criminal Appeal No 1636 of 2011 Decided May 23, 2014 दाखिल की गयी है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि–

> "B. Criminal Trial–Witnesses–Hostile witness Evidence of admissibility –Extent of– Reiterated, evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole– Relevant parts thereof, which are admissible in law, can be used by prosecution or defence– Evidence Act.

उपरोक्त समस्त साक्ष्य का विश्लेषण करने के उपरान्त न्यायालय इस मत का है कि कुछ साक्षीगण के पक्षद्रोही घोषित हो जाने से समस्त साक्ष्य खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तर्क में बल प्रतीत होता है।

115. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता यह भी तर्क मुख्य रूपसे प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को दिनांक 26.03.2006 को उसके घर से पूछताछ हेतु ले जाया गया और उसे अवैधानिक रूपसे अभिरक्षा में रखा गया तथा उसके उपरान्त दिनांक 05.04.2006 को पुलिस ने थाना गौसाई गंज लखनऊ से झूंठी गिरफ्तारी दिखाकर कारागार में निरूद्ध किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि बचाव साक्षीगण डी.डब्लू.–1 चिकरूल्लाह, डी.डब्लू.–2 हुमैरा खातून एवं डी.डब्लू.–3 उबेदुल्लाह ने भी अपने बयान में कहा है कि दिनांक 26.03.2006 को शाम के करीब 5 बजे वलीउल्लाह को दो व्यक्ति अपने साथ खुद को एल.आई.यू. वाले बताकर इफको गेस्ट हाउस ले गये। उसके बाद उसके पति वापस घर लौटकर नहीं आये। साक्षी डी.डब्लू.–2 ने यह भी कहा है कि जब उसके पति लौटकर घर वापस नहीं आये तो दिनांक 29.03.2006 को उसने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैबियस कोर्पस की रिट दाखिल की थीं दिनांक 05.04.2006 को पुलिस ने उसके पति की थाना गौंसाई गंज लखनऊ से झूंठी गिरफ्तारी दिखाकर जबाव दाखिल कर दिया जिसकी वजह से रिट खारिज हो गयी। इस प्रकार अभियुक्त को दिनांक 26.03.2006 से दिनांक 05.04.2006 तक अवैध रूपसे हिरासत में रखने के बाद दिनांक 05.04.2006 को फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर जेल भेजा गया हैं। वहीं दूसरी ओर अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को अवैध हिरासत में नहीं रखा गया है, यदि अभियुक्त से कोई पूछताछ की गयी है तो उसे अवैध हिरासत में होना नहीं कहा जा सकता है और माननीय उच्च

न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भी डी.डब्लू.–2 द्वारा दाखिल हैबियस कोर्पस रिट को खारिज कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की ओर से दिया गया तर्क कि अभियुक्त को गिरफ्तारी से पूर्व कई दिन अवैध रूपसे हिरासत में रखा गया, विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

116. सम्पूर्ण साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर यह साबित है कि साक्षी पी.डब्लू.–3 सीताराम, पी.डब्लू.–4 मोहन साव घटना के दिन इस अभियुक्त को अन्य व्यक्तियों के साथ सड़क के किनारे बैग रखकर जाते हुए देखा जाने तथा वहां से लंका की ओर मुड़ने का कथन किया है और उसके कुछ देर बाद ही संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट होना कहा है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू.–2 राम अवध यादव, पी.डब्लू.–5 तारकेश्वर नाथ, पी.डब्लू.–6 किशन सोनकर द्वारा कैंट रेलवे स्टेशन से कचहरी वाराणसी जाते समय अभियुक्त व उसके अन्य तीन साथियों को घटना के तीन चार दिन पूर्व दिनांक 04.03.2006 को देखे जाने और उसके बाद इस अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद इसे टी.वी. पर देखने और पहचानने का कथन किया है। जो साक्षी पक्षद्रोही हुए है उनके द्वारा भी घटना घटित होना स्वीकार किया, चिकित्सक साक्षीगण द्वारा चिकित्सीय प्रपत्रों को साबित करते हुए मृतकों के शवों का शव विच्छेदन करने व घायलों का इलाज करना कहा है तथा यह भी कहा है कि उनके आयी चोटें बम विस्फोट से आना संभव है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य साक्षियों ने भी दिनांक 07.03.2006 को घटना घटित होना साबित किया है। अभियोजन की ओर से जो पुलिस साक्षीगण न्यायालय में परीक्षित कराये गये हैं उनके द्वारा भी अभियोजन प्रपत्रों को न्यायालय में साबित किया है।

117. प्रस्तुत प्रकरण आतंकवादी गतिविधियों से सम्बन्धित है और आतंकवादियों द्वारा घटना कारित करने के लिए पूर्व योजना के अनुसार व उसके क्रियान्वयन के लिए घटना स्थल पर कई दिन से आते जाते कई साक्षियों द्वारा देखा गया है। जहां तक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को पहली बार न्यायालय में पहचाना गया है जो एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है लेकिन इस तरह के प्रकरणों में जिसमें अज्ञात लोगों के द्वारा योजना बनाकर आतंकवादी घटनाएं कारित की जाती हैं, इसमें अभियुक्त की पहचान पहले से नहीं होती और न ही अभियुक्त के बारे में किसी व्यक्ति को पहले से कोई जानकारी होती है। ये घटनाएं बडी योजना और साजिश के तहत कारित की जाती हैं और इसमें आम आदमी को घटना कारित किये जाने की योजना या अभियुक्त के बारे में पूर्व से कोई जानकारी नहीं होती है और ऐसे गम्भीर मामलों में पूर्व से अभियुक्त को पहचानने वाले साक्ष्य का मिलना कठिन होता है। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अभियुक्त को न्यायालय में पहली बार पहचाना गया, कमजोर साक्ष्य हैं और अभियुक्त को इसका लाभ इस तरह के प्रकरण में नहीं दिया जा सकता है।

118. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 एवं विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 16 के सम्बन्ध में कहा गया है कि अभियुक्त के द्वारा घटना स्थल पर बैग में बम रखकर विस्फोट कारित किया गया

जिससे काफी जनहानि हुई है जिनमें काफी लोगों की जान गयी हैं तथा कुछ गम्भीर रूपसे घायल हुए हैं। यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की परिधि में आता है। वहीं अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उनके विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है।

119. **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 यह प्राविधानित करती है कि–**

जीवन और सम्पत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोटक कारित करने के लिए दण्ड– कोई व्यक्ति जो विधि विरूद्ध रूपसे तथा विद्वेषपूर्ण रूप से–

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति होने की संभाव्यता है, वह, चाहे व्यक्ति या सम्पत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो या नहीं, आजीवन कारावास से या किसी भी प्रकार से कठोर कारावास से जो दस वर्ष से कम अवधि की नहीं होगी, से कम नहीं होगी, दण्डित होगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

(ख) किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा , जिससे जीवन के खतरे में पडने या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति होने की संभावना है, वह चाहे व्यक्ति या सम्पत्ति को वस्तुतः कोई क्षति हुई हो या नहीं, मृत्यु या कठोर आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और वह जुमाना के लिए भी दायी होगा।

120. **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 यह प्राविधानित करती है कि–**

4. विस्फोटक कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दण्ड – कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्ध रूपसे और विद्वेषपूर्ण रूपसे–

(क) इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के आशय से कोई कार्य करता या किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के लिए षड्यंत्र करता है; या

(ख) कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष वर्ग का विस्फोटक पदार्थ इस आशय से बनाता है या अपने पास रखता है या अपने नियंत्रणाधीन रखेगा कि उसके द्वारा वह जीवन को जोखिम में डाले या संपत्ति को गंभीर क्षति कारित करे अथवा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति काकरित करेन के लिए समर्थ बनाये।

121. **विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 यह प्राविधानित करती है कि–**

. **5. संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड** –

कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ बनाता है या जानबूझकर अपने पास रखता है या अपने नियंत्रणाधीन रखता है जिससे युक्तियुक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि वह उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं बना रहा है या अपने पास नहीं रख रहा है या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रख रहा है, तब जब तक वह यह दर्शित नहीं कर सकता कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया है या अपने पास रखा है या अपने नियंत्रणाधीन रखा है –

(क) किसी विस्फोटक पदार्थ के मामले में ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित किया जायेगा जो दस वर्ष तक का हो सकगा तथा वह जुर्माना के लिए भी दायी होगा।

(ख) किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक पदार्थ के मामले में कठोर आजीवन कारावास से या ऐसे अवधि के कठोर कारावास से दण्डित किया जायेगा, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी और वह जुर्माने लिए भी दायी होगा।

122. **विधि विरूद्ध क्रिय कलाप निवारण अधिनियम की धारा 15 यह प्राविधानित करती है–**

15. **आतंकवादी कार्य** – जो कोई भी धमकी देने या संभावित रूप से करने के इरादे से कोई कार्य करता है भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को खतरा या हड़ताल करने के इरादे से भारत में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक या आतंक हमले की संभावना या किसी भी विदेशी देश में–

(ए) बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेयास्त्रों या अन्य घातक हथियारों या जहरीली या हानिकारक गैसों या अन्य रसायनों या किसी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्यथा) का उपयोग करके खतरनाक प्रकृति या किसी अन्य तरीके से जो भी प्रकृति का कारण हो या होने की संभावना हो–

(i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु, या उन्हें चोट, या

(ii) संपत्ति की हानि, या क्षति, या विनाश; या

(iii) भारत में या किसी विदेशी देश में समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान; या

(iv) भारत में या किसी विदेशी देश में भारत की रक्षा के लिए या भारत सरकार, किसी भी राज्य सरकार या उनकी किसी भी एजेंसी के किसी भी अन्य उद्देश्यों के संबंध में इस्तेमाल या उपयोग किए जाने वाले किसी भी संपत्ति का नुकसान या विनाश; या

(बी) आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से डरता है या ऐसा करने का प्रयास करता है या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बनता है या किसी भी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का प्रयास करता है; या

(सी) किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, अपहरण करता है या अपहरण करता है

और ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को करने या दूर करने के लिए मजबूर करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है। किसी भी कार्य को करने से,

123. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन के साक्षीगण की साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध निम्न तथ्य एवं परिस्थितियां साबित होती हैं–

1. अभियुक्त वलीउल्ला को घटना से तीन दिन पूर्व अर्थात दिनांक 04.03.2006 को साक्षी पी.डब्लू.–5 तारकेश्वर नाथ एवं पी.डब्लू.–6 किशन सोनकर के द्वारा वाराणसी कैन्ट स्टेशन के आसपास आते जाते देखा गया है।
2. घटना के दिन दिनांक 07.03.2006 को समय साढ़े चार बजे के आसपास अभियुक्त को साक्षी पी.डब्लू.–3 सीताराम एवं पी.डब्लू.–4 मोहन साब ने बैग रखते हुए देखा है और उसके बाद उसके तीन साथियों को लंका की ओर जाते हुए तथा बाद में अभियुक्त को भी लंका की ओर जाते हुए देखा गया है।
3. उपरोक्त दोनों साक्षियों के द्वारा अभियुक्त को बैग रखकर लंका की ओर जाने के पश्चात करीब डेढ़ घंटे बाद संकट मोचन मंदिर में बम विस्फोट की घटना घटित हुई जैसा कि अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से भी साबित है।
4. घटना के पश्चात अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद उसे अखबार व टी.वी. के माध्यम से साक्षी पी.डब्लू.–3 सीताराम एवं पी.डब्लू.–4 मोहन साब द्वारा पहचाना गया है।
5. साक्षी पी.डब्लू.–3 सीताराम एवं पी.डब्लू.–4 मोहन साब ने अभियुक्त को न्यायालय में पहचाना है।

124. उपरोक्त साक्ष्य तथ्य एवं परिस्थितियों की एक कड़ी बनाती है जो सिर्फ और सिर्फ इंगित करती है कि दिनांक 07.03.2006 को संकट मोचन मंदिर पर घटित घटना अभियुक्त द्वारा ही कारित की गयी है, अन्य किसी के द्वारा कारित नहीं की गयी।

125. आतंकवादी गतिविधियां पूर्व से योजना बनाकर कारित की जाती है। अभियुक्त के बारे में किसी को पूर्व से कोई जानकारी अथवा उसकी पहचान नहीं होती और यह घटना गुप्त रूपसे से कारित की जाती है। अतः आतंकवादी गतिविधियों से सम्बन्धित प्रकरणों में सामान्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भिन्न परिस्थितियां होती हैं।

126. उक्त मामले में अभियुक्त द्वारा विस्फोटक पदार्थ को अपने नियंत्रणाधीन रखते हुए, मानव जीवन के खतरे में पड़ने या सम्पत्ति को गम्भीर क्षति होने की सम्भाव्यता के साथ बम विस्फोट किया गया है जिससे काफी अधिक संख्या में जनहानि हुई है अर्थात काफी लोगों की जान गयी तथा काफी संख्या में गम्भीर रूपसे घायल हुए हैं और बम विस्फोट से भारत के लोगों की

सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ और लोगों में भय व्याप्त हुआ तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश आगरा की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषण द्वारा उच्च विस्फोटक एवं विस्फोटक के विच्छेदित अवयव अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट तथा एल्यूमीनियम पाये गये। इस प्रकार अभियुक्त का कृत्य आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में भी आता है।

127. उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्यों के सूक्ष्म विश्लेषण करने, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुनने तथा उभय पक्षों द्वारा माननीय न्यायालयों की दाखिल विधि व्यवस्थाओं का ससम्मान परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त वलीउल्ला के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है और अभियुक्त वलीउल्ला धारा 302, 307, 324, 326 भा०द०सं० एवं धारा 3, 4 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्ध होने योग्य है।

128. तदनुसार अभियुक्त वलीउल्ला को धारा 302, 307, 324, 326 भा०द०सं० एवं धारा 3, 4 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोपों में दोषसिद्ध किया जाता है।

129. अभियुक्त वलीउल्ला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त वलीउल्ला आज कारागार से उपस्थित आया। अभियुक्त को सजा/दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 06.06.2022 को पेश हो। नियत दिनांक के लिए अभियुक्त को जिला कारागार से तलब किया जाए।

दिनांक 04.06.2022

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 06.06.2022

130. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली पेश हुई।
दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला कारागार से उपस्थित आया।

131. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री राजेश चन्द्र शर्मा एवं दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला तथा उसकी ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री आरिफ अली खान के विस्तृत तर्कों को सुना गया।

132. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा तर्क दिया गया है कि यह सिद्ध हो चुका है कि यह आतंकवादी घटना है। उक्त घटना में सवा साल की बच्ची की भी मृत्यु हुई है। अभियुक्त को एक मामले में लखनऊ न्यायालय से 10 वर्ष की सजा हो चुकी है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध राष्ट्रद्रोह का मुकदमा प्रयागराज में चल रहा है। यह जो घटना घटित हुई थी वह लोगों के हृदय को हिला व झकझोर देने वाली थी। यह भी तर्क दिया गया है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास कम्पन आ गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त घटना में 7 लोगों की जान गयी तथा कई अपंग हो गये तथा कई गम्भीर रूपसे घायल हो गये। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा मंदिर को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां हर समय हजारों की संख्या में दर्शनार्थियों की भीड़ होती है तथा अनसूझ विवाह सम्पन्न होते है। यह भी कहा गया है कि यह सीरियल बम धमाका था। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के तार बांग्लादेश व पाकिस्तान से जुड़े हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला के द्वारा कारित अपराध विरल से विरलतम श्रेणी का अपराध है, क्योंकि अभियुक्त द्वारा वाराणसी शहर के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में होली के आसपास जहां शादियों की भीड़ एवं दर्शनार्थियों की भीड़ थी वहां बम विस्फोट कर भारी मात्रा में जनहानि और कई लोगों को घायल किया गया है, जिससे राष्ट्र एवं समाज को अस्थिर करने का कार्य किया है और ऐसे अपराध के लिए सजा में कोई नरमी न बरती जाए। उपरोक्त सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

133. दूसरी तरफ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त एक शान्ति पसन्द नागरिक है और वह गरीब व्यक्ति है, उसके उपर उसके परिवार के भरण पोषण का दायित्व है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घटना कारित करते हुए किसी ने नहीं देखा है। प्रस्तुत मामले में लगभग 16 वर्ष से निरन्तर कारागार में निरूद्ध रहा है। यह भी कहा गया है कि धारा 302 भा०द०सं० में न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा दी जाए तथा आजीवन कारावास को वर्षों में कर दिया जाए। अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे कम से कम सजा से दण्डित किया जाए।

134. प्रस्तुत अपराध में अभियुक्त के द्वारा विधि विरूद्ध क्रिया कलाप करके आतंकवाद

की घटना कारित करते हुए वाराणसी शहर के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में दिनांक 07.03.2006 को होली के अवसर पर जहां अत्यधिक भीड़ थी, वहां बम विस्फोट कारित किया जिसमें सात लोगों की मृत्यु हुई तथा काफी अधिक संख्या में व्यक्ति घायल हुए और कई घायलों के जीवन को खतरे में डालने वाली चोटें आयीं हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था बच्चन सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब (1980) 2 SCC 684 एवं मच्छी सिंह आदि बनाम स्टेट आफ पंजाब (1983) 3 SCC 470 में मृत्यु दण्ड के सम्बन्ध में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि–

1. मृत्युदण्ड केवल विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए।
2. मृत्यु दण्डादेश दिये जाने से पूर्व अभियुक्त व अपराध की परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए।
3. आजीवन कारावास नियम है व मृत्युदण्ड अपवाद है।
4. उत्तेजक और हल्का करने वाली परिस्थितियों की बैलेंसशीट बनायी जानी चाहिए और उन दोनों के बीच उपयुक्त संतुलन बनाकर दण्डादेश पारित करना चाहिए।

135. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड के सम्बन्ध में Mofil Khan vs. State of Jharkhand, (2015) 1 SCC 67 में यह अवधारित किया है कि–

> Murder – Imposition of death sentence – the time, place and manner of commission of murder as well as cry of society for justice and rights of victims are held to be relevant consideration, which are to be kept in mind while imposing death sentence by Court.

136. उपरोक्त विधिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा घटना कारित करने का समय होली का समय था जिस समय काफी भीड़ रहती है और घटना स्थल संकट मोचन मंदिर था जिसमें प्रतिदिन काफी भीड़ रहती है और शादी विवाह का भी समय था। इस तरह से विस्फोट कारित करने का तरीका कहीं से भी अभियुक्त के पक्ष में हल्की परिस्थिति पैदा नहीं करता है। चूंकि इस घटना में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और कई लोग गम्भीर रूपसे घायल हुए है और समाज व राष्ट्र के प्रति आतंकवादी घटना कारित की गयी है। इन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से अभियुक्त के पक्ष में कोई हल्की परिस्थिति नहीं है। दोषसिद्ध अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस मामले में 16 वर्ष से लगातार कारागार में निरूद्ध रहा है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि उसे लखनऊ के सत्र न्यायालय द्वारा एक मुकदमें में 10 वर्ष के कारवास की सजा हुई है। उपरोक्त सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध उत्तेजक परिस्थितियां काफी हैं और उसके पक्ष में हल्की परिस्थिति नगण्य है और दोनों की बैलेंसशीट बनाने के उपरान्त उत्तेजक परिस्थिति का पलड़ा हल्की परिस्थिति से काफी भारी है। अपराध विरल से विरलतम श्रेणी का है।

137. अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्त वलीउल्ला को धारा 302 भा०द०सं० के

अन्तर्गत मृत्युदण्ड तथा 50,000/–रूपये के अर्थदण्ड, धारा 307 भा०द०सं० के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30,000 रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 326 भा०द०सं० के अन्तर्गत 07 वर्ष के सश्रम कारवास व 20,000 रूपये अर्थदण्ड से, धारा 324 भा०द०सं० के अन्तर्गत 02 वर्ष के साधारण कारावास तथा 5,000/–रूपये अर्थदण्ड से, धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास तथा 50,000/–रूपये अर्थदण्ड से, धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30,000/–रूपये अर्थदण्ड से, धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारवास तथा 30,000/–रूपये अर्थदण्ड से तथा धारा 16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास तथा 50,000/–रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित एवं समीचीन है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला को सत्र परीक्षण संख्या 1786/2006 के अन्तर्गत निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाता है–

1. दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला को धारा 302 भा०द०सं० के अन्तर्गत मृत्युदण्ड एवं 50,000/–रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को तब तक फांसी पर लटकाया जायेगा, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाये। लेकिन उक्त दण्डादेश तब तक निष्पादित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए।

2. दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला को धारा 307 भा०द०सं० के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30,000/–रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे अर्थदण्ड के एवज में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

3. दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला को धारा 326 भा०द०सं० के अन्तर्गत 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20,000/–रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे अर्थदण्ड के एवज में छः माह के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

4. दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला को धारा 324 भा०द०सं० के अन्तर्गत 02 वर्ष का साधारण कारावास तथा 5,000/–रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे अर्थदण्ड के एवज में दो माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

5 दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला को धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास तथा 50,000/–रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे, अर्थदण्ड के एवज में दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

6. दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला को धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30,000/–रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे अर्थदण्ड के एवज में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

7. दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला को धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 30,000/–रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे अर्थदण्ड के एवज में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला को सत्र परीक्षण संख्या 815/2011 के अन्तर्गत निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाता है–

8 दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला धारा 16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास तथा 50,000/–रूपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे अर्थदण्ड के एवज में दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

9. दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्लाह की उपरोक्त सभी सजाएं साथ–साथ चलेगीं।

10. दोषसिद्ध अभियुक्त वलीउल्ला का सजायावी वारंट तैयार कर जिला कारागार भेजा जाए और चूंकि दोषसिद्ध अभियुक्त को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है, अतः द०प्र०सं० की धारा 366(2) के अन्तर्गत वारंट के अधीन जिला कारागार में रखा जाए।

11. वस्तु प्रदर्श की नत्थी एवं माल मुकदमा को दौरान अपील अथवा माननीय न्यायालयों के अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखा जाए।

12. दोषसिद्ध अभियुक्त को इस निर्णय व आदेश की प्रतिलिपि निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

13. मृत्युदण्ड के आदेश की पुष्टि हेतु द०प्र०सं० की धारा 366(1) के अन्तर्गत पत्रावली को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को संदर्भित किया जाए।

14. इस निर्णय व आदेश की एक–एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद व अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को भेजी जाए।

15. निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 815/2011 सरकार बनाम वलीउल्ला पर रखी जाए।

दिनांक 06.06.2022 **(जितेन्द्र कुमार सिन्हा)**
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक 06.06.2022 **(जितेन्द्र कुमार सिन्हा)**
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।